



कार्यालय बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली

विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर, पीलीभीत रोड, बरेली (उ०प्र०)

Website : www.bdainfo.org, email : bdabareilly@yahoo.com.

पत्रांक : 819

/ब०वि०प्रा०/2023-24

दिनांक : 12-09-2023

संशोधित पत्र

प्रेषक,

उपाध्यक्ष

बरेली विकास प्राधिकरण

बरेली।

सेवा में,

तकनीकी सलाहकार

उ०प्र० रेरा

राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन

कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद,

लखनऊ-228007।

विषय- उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ०प्र० रेरा) में परियोजना सेक्टर-2ए, ग्रेटर बरेली जनपद बरेली आवेदन आई०डी० नं०-1D830619 के पंजीयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय पत्र सं०-2208231/यू०पी०रेरा/परि०पंजी०/2023-24 दिनांक-22-08-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के बिन्दु सं०-4 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आवासीय परियोजना सेक्टर-2ए, ग्रेटर बरेली हेतु कुल भूमि का क्षेत्रफल 268515.00 वर्ग मी० के सापेक्ष 274210.00 वर्ग मी० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश सं०-1/2016/385/8-3-16-309विधि/15 दिनांक-21-03-2016 एवं पत्र सं०-2/2016/414/एक-13-2016-5क(25)/13टी०सी० दिनांक-13-07-2016 के आलोक में बरेली विकास प्राधिकरण की परियोजना सेक्टर-2ए ग्रेटर बरेली हेतु भूमि, भू-स्वामियों से सहमत के आधार पर 236333.00 वर्ग मी० भूमि को क्रय किया जा चुका है जिसकी खतौनी/बैनामा प्रपत्र (Annexure-A) पर संलग्न है।

योजना की 37877.00 वर्ग मी० भूमि क्रय हेतु शेष है। अवशेष 37877.00 वर्ग मी० क्षेत्रफल भूमि में से मात्र 1780.00 वर्ग मी० भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद विचाराधीन है एवं 24427.00 वर्ग मी० अनुसूचित जाति के भू-स्वामियों की है, जिसको क्रय करने हेतु उ०प्र० राजस्व संहिता-2008 की धारा-98 के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि विक्रय से पूर्व जिलाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक है। भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में भू-स्वामी के आवेदन के साथ पत्रावली जिलाधिकारी, बरेली के यहां विचाराधीन है। जिलाधिकारी, बरेली से भू-स्वामियों को विक्रय की अनुमति प्राप्त होते ही बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पक्ष में बैनामा करा लिया जायेगा। 7860.00 वर्ग मी० की भूमि क्रय करने हेतु भू-स्वामियों से सहमति प्राप्त करने के प्रक्रिया में है, अवशेष 4010.00 वर्ग मी० भूमि क्रय करने हेतु भू-स्वामियों से सहमति प्राप्त हो चुकी है जिसका बैनामा माह नवम्बर-2023 अथवा उससे पूर्व करा लिया जायेगा। इस प्रकार न्यायिक विवाद से अच्छादित मात्र 1780.00 वर्ग मी० की भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि के अधिग्रहण में कोई बाधा नहीं है। भू-स्वामियों से प्राप्त सहमति प्रपत्र (Annexure-B) पर संलग्न है।


उपरोक्त भू-अधिग्रहण/स्वामित्व प्राप्त करने के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि उक्त योजना की भूमि का स्वामित्व सहमति के आधार पर प्राप्त न होने की दशा में बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु सं०-2 के अनुसार भू-अर्जन की कार्यवाही कर ली जायेगी। परियोजना सेक्टर-2ए, ग्रेटर बरेली में शामिल

समस्त गाटा संख्याओं के खसरा प्लान पर योजना की प्लानिंग को सुपरइम्पोज किया गया है जिसे (Annexure-C) पर संलग्न किया गया है।

उपरोक्त आख्यानानुसार योजना की कुल भूमि का 88.21 प्रतिशत भाग का अर्जन किया जा चुका है, मात्र 0.65 प्रतिशत भाग न्यायालय में वाद लम्बित है। न्यायिक वाद से अच्छादित भूमि से योजना विकसित करने में कोई बाधा नहीं है। उक्त के अतिरिक्त भू-स्वामित्व हेतु अवशेष भूमि-37,877 वर्ग0 मी0 पर नियोजित भूखण्डों की संख्या-190 को भू-स्वामित्व प्राप्त होने तक आवंटन से मुक्त रखा जायेगा। न्यायिक वाद से अच्छादित 0.65 प्रतिशत भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि प्राप्त करने में प्राधिकरण के समक्ष किसी भी प्रकार की न्यायिक, विधिक, वित्तीय बाधा नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार योजना को उ0प्र0 रेरा में पंजीकृत करने का कष्ट करें।

भवदीय



उपाध्यक्ष

बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।

DECLARATION OF INTEREST

ANNEXURE - A



उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

10/Sep/2023 10:15:41

ग्राम संख्या : 130435	ग्राम का नाम (परगना) : अहरोला (खोली)	तहसील : खोली	जमाली नं० : 1429-1434 (01 ब्लाक, 2021 से 30 जून, 2027)	पाना : 1	(1) जमा संख्या : 00030			
श्रेणी : 1-क / धूमि से संबंधित धूमिपट्टी के अप्रमाणित नै हो।								
खतौनी का विवरण		खतौनी प्राप्त होने का विवरण			खतौनी का नंबर			
खतौनी का नाम / कम्प्यूटरीकृत प्लॉट संख्या / अहरोला का रिकॉर्ड / खतौनी का अंक / खतौनी का नंबर (8-9 खतौनी के अंक) / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो)	(2) खतौनी का नाम / कम्प्यूटरीकृत प्लॉट संख्या / अहरोला का रिकॉर्ड / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो) / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो)	(3) खतौनी प्राप्त होने का विवरण	(4) जमा संख्या	(5) गाटा (एनरिक कोड)	(6) गाटा का कुल क्षेत्रफल (हे०)	(7) खतौनी का नंबर	(8) खतौनी का नंबर (हे०)	(9) खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो)
2मि०	1) खतौनी का नाम / कम्प्यूटरीकृत प्लॉट संख्या / अहरोला का रिकॉर्ड / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो) / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो)	1) खतौनी प्राप्त होने का विवरण /T202312130104447/15-06-2023/खतौनी	1395	2मि०1304350002200112	0.1720	1)-	1) 0.1720	6.10
कुल गाटे - एक कुल क्षेत्रफल - 0.1720 हे० (अप्रमाणित नै हो) कुल जमा संख्या - 1395 कुल खतौनी का क्षेत्रफल - 0.1720 हे० (अप्रमाणित नै हो)								
खतौनी का विवरण		खतौनी का विवरण			खतौनी का नंबर			
(10) खतौनी का नाम / कम्प्यूटरीकृत प्लॉट संख्या / अहरोला का रिकॉर्ड / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो) / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो)	(11) खतौनी का नाम / कम्प्यूटरीकृत प्लॉट संख्या / अहरोला का रिकॉर्ड / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो) / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो)	(12) खतौनी का नाम / कम्प्यूटरीकृत प्लॉट संख्या / अहरोला का रिकॉर्ड / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो) / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो)	(13) खतौनी का नाम / कम्प्यूटरीकृत प्लॉट संख्या / अहरोला का रिकॉर्ड / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो) / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो)	(14) खतौनी का नाम / कम्प्यूटरीकृत प्लॉट संख्या / अहरोला का रिकॉर्ड / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो) / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो)	(15) खतौनी का नाम / कम्प्यूटरीकृत प्लॉट संख्या / अहरोला का रिकॉर्ड / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो) / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो)	(16) खतौनी का नाम / कम्प्यूटरीकृत प्लॉट संख्या / अहरोला का रिकॉर्ड / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो) / खतौनी का नंबर (अप्रमाणित नै हो)		



आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : बरेली, जूनपद : बरेली, तहसील : बरेली
वाद संख्या : 4461/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : T202312130104461
सत्य प्रकाश कशवाहा बनाम अशफी लाल
अंतर्गत धारा :- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006


कार्यालय आख्या

उप निबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छाया प्रति मय शपथ प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इस्तहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद मानते हुये वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बानामा उद्धरण खतीनी व वादी का शपथपत्र पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। इत्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानुसार विक्रेता/क्रेता के अनुसूचित जाति के न होने क्रेता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज, पट्टे व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतीनी है। क्रेता द्वारा शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रथम बार दायरा किया है तथा प्रार्थी का वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77, 80 एवं 98 उ०प्र०रा०सं०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि:-

आदेश

ग्राम अहरोला परगना व तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतीनी फसली बर्ष 1429-1434 के खाता संख्या-00005 के गाटा संख्या 9मि० रकबा 0.3180हे० कुल विक्रेता का अंश पूर्ण है लगान 60ख के अनुसार विक्रेता श्री अशफी लाल पुत्र श्री तुलाराम व श्री गजेन्द्र पाल व महीपाल सिंह पुत्रगण श्री लालता प्रसाद व श्रीमती मुन्ती देवी पत्नी श्री लालता प्रसाद निवासीगण ग्राम डोहरिया तह० व जिला बरेली का नाम पृथक कर क्रेता बरेली विकास प्राधिकरण, विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली, 243122 (उ०प्र०) का नाम उन्ही भौमिक अधिकारों में बानामा दिनांक 22.03.2023 के आधार पर दर्ज हो। रजिस्ट्रार कानूनगो आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में करा कर अपनी अनुपालन आख्या सहित एक प्रति तीन दिन में इस न्यायालय को वापस करना सुनिश्चित करे। अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्त संलग्नकों सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 23-06-2023


तहसीलदार न्यायिक
(सदर), बरेली।



आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : बरेली
वाद संख्या :- 5306/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202312130105306
हरीश कुमार चौधरी बनाम राजेश कुमार अग्रवाल
अंतर्गत धारा :- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006


कार्यालय आख्या

उप निबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छाया प्रति मय शपथ प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इशतहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद मानते हुये वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा उद्घरण खतीनी व वादी का शपथपत्र पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानुसार विक्रेता/क्रेता के अनुसूचित जाति के न होने क्रेता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज, पटटे व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतीनी है। क्रेता द्वारा शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रथम बार दायरा किया है तथा प्रार्थी का वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77, 99 एवं 98 उ०प्र०रा०सं०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि-

आदेश

ग्राम अहरोला परगना व तहसील व जिला बरेली के उद्घरण खतीनी फसली बर्ष 1429-1434 के खाता संख्या-00070 के गाटा संख्या 14 रकबा 0.2790हे० में से 0.2293हे० विक्रेतागण का पूर्ण अंश लगान 60ख के अनुसार विक्रेता श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री हरीशंकर अग्रवाल व श्रीमती रागिनी अग्रवाल पत्नी श्री राजेश अग्रवाल नियासीगण 129, आवास विकास सिविल लाइन्स बरेली का नाम पृथक कर क्रेता बरेली विकास प्राधिकरण, विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली, 243122 (उ०प्र०) का नाम उन्ही भौमिक अधिकारों में बैनामा दिनांक 30.04.2023 के आधार पर दर्ज हो। रजिस्ट्रार कानूनगो आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में करा कर अपनी अनुपालन आख्या सहित एक प्रति तीन दिन में इस न्यायालय को वापस करना सुनिश्चित करें। अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्ता संलग्नकों सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 13-07-2023


तहसीलदार न्यायिक
(सदर), बरेली।



आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : बरेली, जूनपद : बरेली, तहसील : बरेली
वाद संख्या :- 4448/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202312130104448
हरीश कुमार चौधरी बनाम रागिनी अग्रवाल
अंतर्गत धारा :- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006


कार्यालय आख्या

उप निबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छाया प्रति मय शपथ प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इशतहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद मानते हुये वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा उद्धरण खतौनी व वादी का शपथपत्र पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानुसार विक्रेता/क्रेता के अनुसूचित जाति के न होने केता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज, पटटे व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिघर दर्ज खतौनी है। क्रेता द्वारा शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रथम बार दायरा किया है तथा प्रार्थी का वाद किसी न्यायालय में विद्याराधीन नहीं है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77, 89 एवं 98 उ०प्र०रा०सं०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि:-

आदेश

ग्राम अहरोला परगना व तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतौनी फसली बर्ष 1429-1434 के खाता संख्या-00095 के गाटा संख्या 15 रकबा 0.4380हे० व खाता सं०-00058 के गा०सं० 19 रकबा 0.2910हे० कुल दो किता कुल रकबा 0.7290हे० में से 0.2915हे० विक्रेता का सम्पूर्ण अंश लगान 60ख के अनुसार विक्रेता श्रीमती रागिनी अग्रवाल पत्नी श्री राजेश अग्रवाल निवासी 129 आवास विकास सिविल लाइन्स बरेली का नाम पृथक कर क्रेता बरेली विकास प्राधिकरण, विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली, 243122 (उ०प्र०). का नाम उन्ही भूमिक अधिकारों में बैनामा दिनांक 17.02.2023 के आधार पर दर्ज हो। रजिस्ट्रार कानूनगो आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेखा में करा कर अपनी अनुपालन आख्या सहित एक प्रति तीन दिन में इस न्यायालय को वापस करना सुनिश्चित करें। अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्त संलग्नकों सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 23-06-2023


तहसीलदार न्यायिक
(सदर), बरेली।



आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : बरेली, जूनपद : बरेली, तहसील : बरेली
वाद संख्या :- 4449/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202312130104449
हरीश कुमार चौधरी बनाम राजेश अग्रवाल
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006


कार्यालय आख्या

उप निबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छाया प्रति मय शपथ प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इस्तहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद मानते हुये वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा उद्धरण खतौनी व वादी का शपथपत्र पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानुसार विक्रेता/क्रेता के अनुसूचित जाति के न होने केता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज, पट्टे व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतौनी है। केता द्वारा शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रथम बार दायरा किया है तथा प्रार्थी का वाद किसी न्यायलय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77, 89 एवं 98 उ०प्र०रा०सं०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किये जाता है कि-

आदेश

ग्राम अहरोला परगना व तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतौनी फसली बर्ष 1429-1434 के खाता संख्या-00025 के गाटा संख्या 16 रकवा 0.4310हे० व खाता सं०-00058 के गा०सं० 19 रकवा 0.2910हे० व खाता सं०-00097 के गा०सं० 22 रकवा 0.1200हे० कुल तीन किता कुल रकवा 0.8420हे० में से 0.3920हे० विक्रेता का सम्पूर्ण अंश लगान 60ख के अनुसार विक्रेता श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री हरीशंकर अग्रवाल व श्रीमती रागिनी अग्रवाल पत्नी श्री राजेश अग्रवाल निवासी 129 आवास विकास सिविल लाइन्स बरेली का नाम पुथक कर केता बरेली विकास प्राधिकरण, विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली, 243122 (उ०प्र०). का नाम उन्ही भौगिक अधिकारों में बैनामा दिनांक 17.02.2023 के आधार पर दर्ज हो। रजिस्ट्रार कानूनी आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में करा कर अपनी अनुपालन आख्या सहित एक प्रति तीन दिन में इस न्यायालय को वापस करना सुनिश्चित करें। अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्त संलग्नकों सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 23-06-2023


तहसीलदार न्यायिक
(सदर), बरेली।



आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : बरेली
वाद संख्या : 4460/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202312130104460
हरीश कुमार चौधरी बनाम शशाक मोहन
अंतर्गत धारा :- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006


कार्यालय आख्या

उप निबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छाया प्रति मय शपथ प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इशतहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद मानते हुये वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा उद्धरण खतीनी व वादी का शपथपत्र पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। एल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानानुसार विक्रेता/क्रेता के अनुसूचित जाति के न होने केता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज, पट्टे व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहस्वातेदारों में कोई विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतीनी है। केता द्वारा शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रथम बार दायरा किया है तथा प्रार्थी का वाद किसी न्यायालय में विधाराधीन नहीं है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77, 89 एवं 98 उ०प्र०रा०सं०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि:-

आदेश

ग्राम अहरोला परगना व तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतीनी फसली बर्ष 1429-1434 के खाता संख्या-00017 के गाटा संख्या 28 रकबा 0.2020हे० में से 0.0505हे० विक्रेता का अंश पूर्ण है लगान 60ख के अनुसार विक्रेता श्री शंशाक मोहन पुत्र श्री मोहन लाल मौर्य व श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री मोहनलाल मौर्य निवासी गण 461 जी लाल केसरी भवन गुलाबबाड़ी रोड नवादा शेखान बरेली का नाम पृथक कर केता बरेली विकास प्राधिकरण, विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली, 243122 (उ०प्र०). वन नाम उन्ही भूमिक अधिकारों में बैनामा दिनांक 18.03.2023 के आधार पर दर्ज हो। रजिस्ट्रार कानूनगो आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में करा कर अपनी अनुपालन आख्या सहित एक प्रति तीन दिन में इस न्यायालय को वापस करना सुनिश्चित करें। अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्त संलग्नकों सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 23-06-2023


तहसीलदार न्यायिक
(सदर), बरेली।



Hindi

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

10/Sep/2023 10:41:03


ग्राम क्रमांक : 130435 ग्राम का नाम (सामन्त) : अहरोला (बोली) जन्मतिथि : बोली जन्मस्थान : बोली पता : 1 (1) गाटा संख्या : 00015

श्रेणी : 1-क / भूमी जो संसदीय दस्तावेजों के अधीन है।

खसरा/गाटा संख्या	खसरेदार का विवरण	खसरेदारी प्राप्त होने का विवरण			भूमि का विवरण			खसरेदार का अर्थ		
		(2) खसरेदार का नाम / कानून-प्रमाणित का नाम / बंसी कोड / अक्षर संख्या (अन्य नाम अंक) अक्षर पैर संख्या (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवकाश है)	(3) न्यायपालिका का नाम / कानून-प्रमाणित का नाम / अक्षर संख्या / अक्षर संख्या / कोड का अक्षर	(4) वर्ग	(5) गाटा (पट्टी) कोड	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) कितने हैं	(8) क्षेत्रफल (हे.)	(9) खसरेदार द्वारा देय पट्टी का अर्थ :	
89क	अधिका / कालीचरण / डोहरिया अधिका / पुरन लाल / डोहरिया प्रताप सिंह / नारायण / डोहरिया ब्रजराजचरण / नारायण / डोहरिया गणेशचन्द्र / मुदाबन्ना सिंह/चरण / डोहरिया गणेशचन्द्र / मुदाबन्ना सिंह/चरण / डोहरिया गणेशचन्द्र / मुदाबन्ना सिंह/चरण / डोहरिया श्रीराम चन्द्र / सुन्दर सिंह / रविन्द्र नारायण / रोड बोली		प्ल 1395	89क(1304350089200112)	0.2660			0.00		

सूचना गाटे- 8क कुल क्षेत्रफल- 8क का अक्षर संख्या - 8क (संख्या) कुल पट्टी-अक्षर - 8क का अक्षर संख्या - 8क

खसरेदार का विवरण				खसरेदार का अर्थ			
(10) खसरेदार का नाम / कानून-प्रमाणित का नाम	(11) खसरेदार का नाम / कानून-प्रमाणित का नाम	(12) गाटे का अक्षर संख्या / पट्टी कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) खसरेदार का नाम / पट्टी कोड	(15) गाटे का अक्षर संख्या / पट्टी कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)	



Hindi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

10/Sep/2023 10:41:43

ग्राम क्रमंक : 130435 ग्राम का नाम (ग्राम) : अहरोला (खेतौनी) लक्ष्मीर : खेतौनी बजारक : खेतौनी पञ्चमी पं. : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 अक्टू. 2027) पन्ना : 1 (1) छाता संख्या : 00103

श्रेणी : 1-क / भूमि को संप्रदायीय परिवर्तनो के अधिकार से हो।

खेतौदार का विवरण		खेतौदारी प्रमाण होने का विवरण		भूमि का विवरण			खेतौदार का जमा		
खसत/पट्टा संख्या	(2) न्यायपालिका-एनटी-संरक्षण-प्रमाण का नाम / जारी कोड / अपार नं० (अन्तिम पार अंक) अथवा पैर नं० (6-9 स्थान के अंक) / पत्र / समझौता (अवकाश हेतु)	(3) न्यायपालिका का नाम / सहाय्यकारी नंबर संख्या अथवा अहरोला अहरोला / अहरोला का दिक्कत / खेत का अपार	(4) वर्ग	(5) पत्र (एनटी कोड)	(6) गेटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से से	(8) क्षेत्रफल (हे०)	(9) खेतौदार द्वारा देय रु०	शुल्क
89ख	1) खेतौदार का नाम / सहाय्यकारी नंबर संख्या अहरोला अहरोला / अहरोला का दिक्कत / खेत का अपार	1) गाटा संख्या न्यायपालिका (नाम सहाय्यकारी) / 202312130104457 / 06-07-2023 / विभाग	1409व	89ख(1304350089200212)	0.0630	1 -	0.0630	0.00	
कुल गेटे- 06	कुल क्षेत्रफल- रु० स्थल संख्या 6, पैर नं० (अहरोला) / अहरोला का दिक्कत / खेत का अपार	कुल सहाय्यकारी नंबर संख्या 6, पैर नं० (अहरोला) / अहरोला का दिक्कत / खेत का अपार							
समाप्ति / परिवर्तन का विवरण		खतौनी क्रिया गत			द्वि क्रिया गत				
(10) न्यायपालिका का नाम / सहाय्यकारी नंबर संख्या अथवा अहरोला अहरोला / अहरोला का दिक्कत / न्यायपालिका का अपार / सहाय्यकारी नंबर संख्या	(11) न्यायपालिका-एनटी-संरक्षण-प्रमाण का नाम / जारी कोड / अपार नं० (अन्तिम पार अंक)	(12) गेटे का कुल संख्या / एनटी कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) न्यायपालिका-एनटी-संरक्षण-प्रमाण का नाम / जारी कोड / अपार नं० (अन्तिम पार अंक) अथवा पैर नं० (6-9 स्थान के अंक) / पत्र / समझौता (अवकाश हेतु)	(15) गेटे का कुल संख्या / एनटी कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)			



आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : बरेली, जूनपद : बरेली, तहसील : बरेली
वाद संख्या : 4459/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202312130104459
हरीश कुमार चौधरी बनाम त्रिलोकी सिंह,
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006


कार्यालय आख्या

उप निबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छाया प्रति मय शपथ प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इस्तहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद मानते हुये वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा उद्धरण खतौनी व वादी का शपथपत्र पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानानुसार विक्रेता/क्रेता के अनुसूचित जाति के न होने क्रेता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज, पट्टे व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतौनी है। क्रेता द्वारा शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रथम बार दायरा किया है तथा प्रार्थी का वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77, 89 एवं 98 उ०प्र०रा०सं०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि:-

आदेश

ग्राम अहरोला परगना व तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतौनी फसली बर्ष 1429-1434 के खाता संख्या-00099 के गाटा संख्या 91 रकबा 0.4620हे० व गा०सं० 145 रकबा 0.6350हे० कुल दो कित्ता कुल रकबा 0.82275हे० कुल विक्रेतागणों का सम्पूर्ण अंश लगान 60ख के अनुसार विक्रेता श्री त्रिलोकी सिंह व रामगोपाल व विजयपाल सिंह पुत्रगण श्री अमर सिंह निवासीगण ग्राम कंधरी तह० व जिला बरेली का नाम पृथक कर क्रेता बरेली विकास प्राधिकरण, विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली, 243122 (उ०प्र०) का नाम उन्ही भूमिक अधिकारों में बैनामा दिनांक 18.03.2023 के आधार पर दर्ज हो। रजिस्ट्रार कानूनगो आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में करा कर अपनी अनुपालन आख्या सहित एक प्रति तीन दिन में इस न्यायालय को वापस करना सुनिश्चित करें। अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्त संलग्नकों सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 23-06-2023


तहसीलदार न्यायिक
(सदर), बरेली।

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

10/Sep/2023 10:46:54

प्रस क्रमांक : 130435 डाक का पत्र (संख्या) : अहरोला (खतौनी) जयसिंह : मोहरी जयसिंह : मोहरी फाल्गुनी सं० : 1429-1434 (01 शुक्र, 2021 से 30 सूर, 2027) भाग : 1 (1) चाला संख्या : 00066

कृपया उक्त खतौनी की प्रतिलिपि (युद्धंड (गट्टर) के बाद प्राप्त /विकल्प /मू-सूचना /समाधान कती) हेतु खराब संख्या पर बिलिक करे
Disclaimer: उक्त खतौनी में अशुद्धि/गलती है, उक्त विवरण अद्यतन है, तदनुसार कम्प्यूटर केन्द्र से अद्यतन की प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है।
Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/C-SC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : बरेली, ज्ञानपद : बरेली, तहसील : बरेली
वाद संख्या :- 4464/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202312130104464
सत्य प्रकाश कशवाहा बनाम मानदेवी
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006


कार्यालय आख्या

उप निबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छाया प्रति मय शपथ प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इशतहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद मानते हुये वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा उद्धरण खतीनी व वादी का शपथपत्र पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानुसार विक्रेता/क्रेता के अनुसूचित जाति के न होने क्रेता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज, पटटे व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतीनी है। क्रेता द्वारा शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रथम बार दायरा किया है तथा प्रार्थी का वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77, 89 एवं 98 उ०प्र०रा०सं०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि:-

आदेश

ग्राम अहरोला परगना व तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतीनी फराली बर्ष 1429-1434 के खाता संख्या-00084 के गाटा संख्या 78 रकवा 0.3520हे० व खाता सं०-00085 के गा०सं० 79 रकवा 0.3530हे० कुल दो किता कुल रकवा 0.7050हे० कुल विक्रेतागण का सम्पूर्ण अंश लगान 60ख के अनुसार विक्रेता श्रीमती मानदेवी पत्नी श्री चन्द्रपाल सिंह व श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी सुरेन्द्र पाल सिंह व श्रीमती ममता रानी पत्नी श्री नरेन्द्र पाल सिंह निवासीगण हरुनगला तह० व जिला बरेली का नाम पृथक कर क्रेता बरेली विकास प्राधिकरण, विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली, 243122 (उ०प्र०). का नाम उन्ही भूमिक अधिकारों में बैनामा दिनांक 25.03.2023 के आधार पर दर्ज हो। रजिस्ट्रार कानूनगो आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में करा कर अपनी अनुपालन आख्या सहित एक प्रति तीन दिन में इस न्यायालय को वापस करना सुनिश्चित करें। अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्त संलग्नकों सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 23-06-2023


तहसीलदार न्यायिक
(सदर), बरेली।



Hindi

अद्वरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

10/Sep/2023 10:49:34

प्रम क्रमिक : 130435 प्रम का नाम (परम) : अहरोला (खेत) जर्मित : खेतौनी जलसद : खेतौली फसली सं : 1429-1434 (01 इलाक, 2021 से 30 अर, 2027) पाना : 1 (1) बाता संखः - 00107

अंशु : 1-अ/ पुनि से संभारणीय पुनिकावे के-अधिकार से हो।

खतौदार का विवरण		खतौदारी प्रारम्भ होने का विवरण			पुनि का विवरण			खतौदार का अंश		
बाता/पट्टा संख्या	(2) खतौदार-पति-संरक्षक-प्रकार का नाम / खतौ की संख्या / अंश सं० (अंशिम पार सं०) अथवा सं० (6-9 पार के अंश) / पार / बसन्दिनि (अथवाक सं०)	(3) न्यायपाल्य का नाम / अन्वयुक्तिपुत्र याद संख्या अथवा खतौ संख्या / अंश का विवरण / पार का अंश	(4) वर्ग	(5) पट्टा (पुनिक सं०)	(6) पट्टे का कुल क्षेत्रफल(हे.)	(7) शिक्के सं०	(8) क्षेत्रफल (हे.)	(9) खतौदार द्वारा देय भू-राजस्व		
81	1) निरुत्तरा प्रविष्टता, विचारस खेतौ, विपदाखौनी काग पी/ निरुत्तरा खेतौरी-खेतौ-खेतौ खेतौ	1) राजस न्यायपाल्य (अहरोला) /T202312130104430 /26-06-2023/सिद्धिपुत्र	पु०	81(1304350081000012)	0.0780	1)-	1) 0.0780	1.15		
<p>कुल पट्टे- एक कुल क्षेत्रफल- इतन टाकास इतन का अंश अंश (सिद्धिपुत्र) कुल भू-राजस्व - एक टाकास पार सं० सं० कुल अंश का क्षेत्रफल - इतन टाकास इतन का अंश अंश (सिद्धिपुत्र)</p>										
न्यायपाल्य / पुनिकर्तन का विवरण		सार्वभिक विवरण पार			दरई विवरण पार					
(10) न्यायपाल्य का नाम / अन्वयुक्तिपुत्र याद संख्या अथवा अंश संख्या / अंश का विवरण / न्यायपाल्य का अंश / सिद्धिपुत्र संख्या का नाम (परम) / सिद्धिपुत्र संख्या संख्या	(11) न्यायपाल्य-पति-संरक्षक-प्रकार का नाम / खतौ की संख्या / अंश सं० (अंशिम पार सं०) अथवा सं० (6-9 पार के अंश) / पार / बसन्दिनि (अथवाक सं०)	(12) पट्टे का बाता संखः / पुनिक सं०	(13) क्षेत्रफल(हे.)	(14) न्यायपाल्य-पति-संरक्षक-प्रकार का नाम / खतौ की संख्या / अंश सं० (अंशिम पार सं०) अथवा सं० (6-9 पार के अंश) / पार / बसन्दिनि (अथवाक सं०)	(15) पट्टे का बाता संखः / पुनिक सं०	(16) क्षेत्रफल(हे.)				



आदेश पत्रक

न्यायालय: नायब तहसीलदार रिठौरा
मण्डल: बरेली, जनपद: बरेली, तहसील: बरेली
वाद संख्या: -4467/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या: -T202312130104467
सत्य प्रकाश कुशवाहा बनाम प्रताप सिंह
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

उपनिबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छायाप्रति मय शपथ पत्र प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इशतहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद मानते हुए वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा, उद्धरण खतीनी व वादी का शपथपत्र पत्रावली पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानुसार विक्रेता के अनुसूचित जाति के न होने क्रेता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज व भीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई भी विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतीनी है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77,89 एवं 98 उ०प्र०रा०सं०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि:-

आदेश

ग्राम अहरोला तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतीनी फसली बर्ष 1429-1434 के खाता संख्या-00015 के गाटा संख्या 86 रकबा 0.4300 हे० व गाटा संख्या 87 रकबा 0.2780 हे० व गाटा संख्या 89क रकबा 0.2660 हे० (कुल रकबा 0.9740 हे० में से 0.2163 हे० सम्पूर्ण अंश) लगान 60ख के अनुसार से विक्रेता श्री प्रताप सिंह व श्री श्यामाचरन पुत्रगण नेतराम निवासी डोहरिया तह. व जिला बरेली का नाम पृथक करके क्रेता बरेली विकास प्राधिकरण विकास ज्योति प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली द्वारा श्री सत्यप्रकाश कुशवाहा (अवर अभियन्ता) बरेली विकास प्राधिकरण बरेली का नाम उन्ही भूमिक अधिकारों में विक्रय विलेख संख्या 4653 बैनामा दिनांक 03.04.2023 के आधार पर दर्ज हो। वाद अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्त संलग्नको सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 06/07/2023

नायब तहसीलदार रिठौरा
तहसील सदर बरेली

नामान्तरण बही 01 के पृष्ठ
जुं क्रम संख्या
किया गया



आदेश पत्रक

न्यायालय: तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल: बरेली, जनपद: बरेली, तहसील: बरेली
वाद संख्या: 5309/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या: T202312130105309
हरीश कुमार झाधरी बनाम राजेश अग्रवाल
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम:- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

कार्यालय आख्या

उप निबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छाया प्रति मय शपथ प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इस्तहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद मानले हुये वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा उद्धरण खतीनी व वादी का शपथपत्र पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानुसार विक्रेता/क्रेता के अनुसूचित जाति के न होने केता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज, पट्टे व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतीनी है। केता द्वारा शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रथम बार दायरा किया है तथा प्रार्थी का वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त वाद अंतर्गत धारा-77, 89 एवं 98 उ0प्र0रा0सं0-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि:-

आदेश

ग्राम अहरोला परगना व तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतीनी फसली बर्ष 1429-1434 के खाता संख्या-00098 के गाटा संख्या 21 रकबा 0.1030हे0 व खाता सं0-00017 के गा0सं0 26 रकबा 0.2020हे0 कुल दो किता कुल रकबा 0.3050हे0 में से 0.1535हे0 विक्रेतागण का पूर्ण अंश लगान 60ख के अनुसार विक्रेता श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री हरीशंकर अग्रवाल निवासी 129, आवास विकास सिविल लाइन्स बरेली का नाम पृथक कर केता बरेली विकास प्राधिकरण, विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली, 243122 (उ0प्र0). का नाम उन्ही भूमिक अधिकारों में बैनामा दिनांक 30.04.2023 के आधार पर दर्ज हो। रजिस्ट्रार कानूनगो आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में करा कर अपनी अनुपालन आख्या सहित एक प्रति तीन दिन में इस न्यायालय को वापस करना सुनिश्चित करें। अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्त संलग्नकों सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 13-07-2023


तहसीलदार न्यायिक
(सदर), बरेली।



आदेश पत्रक

न्यायालय : नायब तहसीलदार, रिठौरा
मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : बरेली
वाद संख्या :- 4457/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202312130104457
सत्य प्रकाश कुशवाहा जई बनाम राममूर्ति लाल
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

उपनिबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छायाप्रति मय शपथ पत्र प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इशतहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्दिवाद मानते हुए वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा, उद्धरण खतौनी व वादी का शपथपत्र पत्रावली पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानुसार विक्रेता के अनुसूचित जाति के न होने क्रेता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई भी विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतौनी है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77,89 एवं 98 उ०प्र०रा०सं०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि:-

आदेश

ग्राम अहरोला तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1429-1434 के खाता संख्या- 00103 के गाटा संख्या 88 रकबा 0.0510 हे० व गाटा संख्या 89ख रकबा 0.0630 हे० व गाटा संख्या 92 रकबा 0.3960 हे० (कुल रकबा 0.5100 हे० सम्पूर्ण अंश) लगान 60ख के अनुसार से विक्रेता श्री राममूर्ति लाल पुत्र श्री ख्यालीराम निवासी ग्राम हरुनगला तह. व जिला बरेली का नाम पृथक करके क्रेता बरेली विकास प्राधिकरण विकास ज्योति प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली द्वारा श्री सत्यप्रकाश कुशवाहा (अवर अभियन्ता) बरेली विकास प्राधिकरण बरेली का नाम उन्ही भौमिक अधिकारों में विक्रय विलेख संख्या 3148 बैनामा दिनांक 04.03.2023 के आधार पर दर्ज हो। वाद अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्त संलग्नको सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 06/07/2023

नायब तहसीलदार रिठौरा
तहसील सदर बरेली

संलग्नक संख्या बही 01

कै क्रम 1-0

सत्य प्रकाश कुशवाहा



आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : बरेली
वाद संख्या : -5307/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202312130105307
सत्य प्रकाश कुशावाहा बनाम आकाश विल्ड बैंक प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर श्याम सिंह राठीर
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006


कार्यालय आख्या

उप निबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छाया प्रति मय शपथ प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इशतहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद मानते हुये वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा उद्धरण खतीनी व वादी का शपथपत्र पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानुसार विक्रेता/क्रेता के अनुसूचित जाति के न होने केता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज, पटटे व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतीनी है। केता द्वारा शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रथम बार दायरा किया है तथा प्रार्थी का वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77, 89 एवं 98 उ०प्र०रा०सं०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अडचन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि-

आदेश

ग्राम अहरोला परगना व तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतीनी फसली बर्ष 1429-1434 के खाता संख्या-00008 के गाटा संख्या 103 रकबा 0.0590हे० कुल विक्रेतागण का पूर्ण अंश लगान 60ख के अनुसार विक्रेता आकाश विल्ड बैंक प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर श्री श्याम सिंह राठीर पुत्र श्री सत्यदेव राठीर निवासी 100, आशीष रॉयल पार्क बरेली का नाम पृथक कर केता बरेली विकास प्राधिकरण, विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली, 243122 (उ०प्र०), का नाम उन्ही भौमिक अधिकारों में बैनामा दिनांक 30.04.2023 के आधार पर दर्ज हो। रजिस्ट्रार कानूनगो आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में करा कर अपनी अनुपालन आख्या सहित एक प्रति तीन दिन में इस न्यायालय को वापस करना सुनिश्चित करें। अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्त संलग्नकों सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 13-07-2023


तहसीलदार न्यायिक
(सदर), बरेली।



आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : बरेली
वाद संख्या :- 5308/2023

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202312130105308

सत्य प्रकाश कुशवाहा बनाम आकाश बिल्ड बैंक प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर श्याम सिंह राठी
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006


कार्यालय आख्या

उप निबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छाया प्रति मय शपथ प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इस्तहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद मानते हुये वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा उद्धरण खतौनी व वादी का शपथपत्र पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानुसार विक्रेता/क्रेता के अनुसूचित जाति के न होने क्रेता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज, पटटे व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतौनी है। क्रेता द्वारा शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रथम बार दायरा किया है तथा प्रार्थी का वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त वाद अंतर्गत धारा-77, 89 एवं 98 उ०प्र०रा०सं०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अड़धन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि:-

आदेश

ग्राम अहरोला परगना व तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतौनी फसली बर्ष 1429-1434 के खाता संख्या-00007 के गाटा संख्या 104 रकबा 0.0590हे० कुल विक्रेतागण का पूर्ण अंश लगान 80ख के अनुसार विक्रेता आकाश बिल्ड बैंक प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर श्री श्याम सिंह राठी पुत्र श्री सत्यदेव राठी निवासी 100, आशीष रॉयल पार्क बरेली का नाम पुथक कर क्रेता बरेली विकास प्राधिकरण, विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली, 243122 (उ०प्र०), का नाम उन्ही भौमिक अधिकारों में बैनामा दिनांक 30.04.2023 के आधार पर दर्ज हो। रजिस्ट्रार कानूनगो आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में करा कर अपनी अनुपालन आख्या सहित एक प्रति तीन दिन में इस न्यायालय को वापस करना सुनिश्चित करें। अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्त संलग्नकों सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक-13-07-2023


तहसीलदार-न्यायिक
(सदर), बरेली।



आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : बरेली, जूनपद : बरेली, तहसील : बरेली
वाद संख्या :- 4025/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202312130104025
सत्य प्रकाश कशवाहा बनाम नीरज जायसवाल
अंतर्गत धारा :- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006


कार्यालय आख्या

उप निबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छाया प्रति मय शपथ प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इशतहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद मानते हुये वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा उद्धरण खतीनी व वादी का शपथपत्र पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानुसार विक्रेता/क्रेता के अनुसूचित जाति के न होने क्रेता के कब्जे की एवं विक्रित भूमि का ग्राम समाज, पटटे व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहसातेदारों में कोई विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतीनी 31 क्रेता द्वारा शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रथम बार दायरा किया है उक्त प्रार्थी का वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77, 80 एवं 98 उ०प्र०रा०सं०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अडचन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि:-

आदेश

ग्राम अहरोला परगना व तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतीनी फसली वर्ष 1429-1434 के खाता संख्या-00076 के गाटा संख्या 124 रकबा 0.2450हे० व खाता सं०-00078 के गा०सं० 128 रकबा 0.5280हे० व खाता सं०-00045 के गा०सं० 139 रकबा 0.8000हे० व गा०सं० 141 रकबा 0.9920हे० व खाता सं०-00080 के गा०सं० 130 रकबा 0.2500हे० व खाता सं०-00079 के गा०सं० 142 रकबा 0.2850हे० व गा०सं० 161 रकबा 2.0100हे० व खाता सं०-00044 के गा०सं० 160 रकबा 0.0030हे० व खाता सं०-00081 के गा०सं० 162मि० रकबा 1.0000हे० कुल 9कि० कुल रकबा 5.913हे० में से 1.4931हे० विक्रेता का सम्पूर्ण अंश लगान 60ख के अनुसार विक्रेता श्री नीरज जायसवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश जायसवाल निवासी 72, नवादा रोखान बरेली हाल निवासी-5, ग्रीन पार्क बरेली का नाम पृथक कर क्रेता बरेली विकास प्राधिकरण, विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली, 243122 (उ०प्र०). का नाम उन्ही भौगिक अधिकारों में बैनामा दिनांक 08.02.2023 के आधार पर दर्ज हो। रजिस्ट्रार कानूनगो आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में करा कर अपनी अनुपालन आख्या सहित एक प्रति तीन दिन में इस न्यायालय को वापस करना सुनिश्चित करें। अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहरताक्षरित समस्त संलग्नकों सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 15/06/2023


तहसीलदार, न्यायिक
(सदर), बरेली।



Hindi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

10/Sep/2023 11:05:18

प्रश्न क्रमांक : 130435 ग्राम का नाम (परगना) : अहरोली (सोनी) कस्बील : सोनी जमाद : सोनी पत्तली नं० : 1429-1434 (01 इकाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1 (1) गाटा संख्या : 00053

श्रेणी : 1-अ / भूमि जो संवन्धीय भूमिपट्टी के अधीन है।

खतौनी का विवरण	खतौनी प्रारम्भ होने का विवरण			भूमि का विवरण			खतौनी का अंश		
	(2) न्युनतम-पट्टी-संरक्षण-प्रयोग का नाम / जमीन कोड / अपरा नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैर नं० (6-9 स्थान के अंक) / या / कर्मचिह्न (अवधारक हेतु)	(3) न्युनतम का नाम / कर्मचिह्न का नाम / अंश का विवरण / अंश का अंक	(4) वर्ग	(5) गाटा (सूचक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल (मैट्रि.)	(9) खतौनी प्रारंभ होने की तिथि	
125 न्युनतम शिवा / अर्धम / नं० शैथिल्य गुणगण		रु०1395	0.2450	125(1304350125000012)			9.15		

कुल गाटे-एक कुल क्षेत्रफल-दुन टुपानस दो चार बीघ हदय (सिद्धेय) कुल भू-पट्टागत - नौ टुपानस एक बीघ हदय

समाप्ति / परिवर्तन का विवरण	खतौनी का विवरण			द्वितीय विवरण		
	(11) न्युनतम-पट्टी-संरक्षण-प्रयोग का नाम / जमीन कोड / अपरा नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैर नं० (6-9 स्थान के अंक) / या / कर्मचिह्न (अवधारक हेतु)	(12) गाटे का संख्या संकर / सूचक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे.)	(14) न्युनतम-पट्टी-संरक्षण-प्रयोग का नाम / जमीन कोड / अपरा नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैर नं० (6-9 स्थान के अंक) / या / कर्मचिह्न (अवधारक हेतु)	(15) गाटे का संख्या संकर / सूचक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे.)
1) गाटा न्युनतम (समाप्ति/परगना) /T202312130104423 /26-06-	1.1) न्युनतम शिवा/अर्धम/नं०	125(1304350125000012)	1.1) 0.0000	1.1) न्युनतम प्रधिकरण, शिवा/अर्धम, शिवा/अर्धम/नं०	125(1304350125000012)	1.1) 0.0000



उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

10/Sep/2023 11:06:17

ग्राम संख्या : 130435 ग्राम का नाम (ग्राम) : अहरोला (खेतौनी) तहसील : खेतौनी बजट : खेतौनी पत्तली नं० : 1429-1434 (01 कुर्ता, 2021 से 30 अक्टू, 2027) पान : 1 (1) गाटा संख्या : 00026

धेनी : 1-न / धुने को संश्लेषीय सुविधा को केवलिकार के हो।

खतौनी का विवरण	खतौनी प्रकरण होने का विवरण			धुने का विवरण			खतौनी का अंश		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
खतौनी का नाम / कानून/विवाद-प्रकार का नाम / खतौनी कोट / अंश नं० (अंश/विवाद का अंश) अंश नं० (6-9 स्थान के अंश) / पता / कानून/विवाद (अंश/विवाद)	1) खेतौनी विवाद प्रविधान, विवाद नं०/1, विवाद/विवाद अहली, एन. कुलवाण/बी.टी.ए. खेतौनी	न्यायालय का नाम / कानून/विवाद-प्रकार अंश/विवाद का विवरण / अंश का अंश	पृ1404	पता (एकीकृत कोट)	गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे.)	किसके से	क्षेत्रफल (हे.)	खतौनी का अंश	
129	1) राज्य न्यायालय (खेतौनी) /T202312130104426 /26-06-2023 /विवाद				0.2490	1-	0.2490	12.60	

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- 12.60 अंश/विवाद को गाटे से कुल (हे.कोट) कुल पुराना नं०- एक दो अंश/विवाद को कुल गाटे कुल अंश का विवरण - कुल अंश/विवाद को गाटे से कुल (हे.कोट)

न्यायालय / वित्तियन का विवरण	वित्तियन का विवरण			कुल क्षेत्रफल		
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
न्यायालय का नाम / कानून/विवाद-प्रकार अंश/विवाद का नाम / अंश नं० (अंश/विवाद का अंश) अंश नं० (6-9 स्थान के अंश) / पता / कानून/विवाद (अंश/विवाद)	न्यायालय-विवाद-प्रकार का नाम / खतौनी कोट / अंश नं० (अंश/विवाद का अंश) अंश नं० (6-9 स्थान के अंश) / पता / कानून/विवाद (अंश/विवाद)	गाटे का अंश/विवाद / वित्तियन का अंश/विवाद	गाटे का कुल अंश/विवाद / वित्तियन का अंश/विवाद	न्यायालय-विवाद-प्रकार का नाम / खतौनी कोट / अंश नं० (अंश/विवाद का अंश) अंश नं० (6-9 स्थान के अंश) / पता / कानून/विवाद (अंश/विवाद)	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	कुल क्षेत्रफल (हे.)

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

10/Sep/2023 11:06:17

ग्राम कोड: 130435	ग्राम का नाम (संभवतः): अहरोला (कोली)	तहसील: कोली	काका: कोली	सर्वेची नं: 1429-1434 (01 फुल, 2021 से 30 अ, 2027)	पान: 1	(1) काका संख्या: 00026
1) गाटा संख्या (तहसील): /T20231213010428/28-06-2023/सिवा	1.1) सर्वेची देवी/ मोहम्मदराफिको देहरिया (सैय) सेवान: 0.0000	129(1304350129000012)	1.1) 0.2490	1.1) कोली विकास प्रधिकरण, विकास जंती, डिपार्ट्मेंट/अर-बी, एन/ इरावती/ सी.टी.ए. कोली	129(1304350129000012)	1.1) 0.2490
/BRAHAMANAND SHARMA (REVENUE INSPECTOR) 08-07-2023						
(17) यदि के अनुसार ये विचारपत्रि एकाच बंद की सहायगीत संख्या :						
(18) गाटा/काका-कुठ होने की तिथि						
(18.1) जका होने की तिथि (गाटा जका बैंक का सहायगीत/अभेद संख्या/अभेद/सिवा-पति-काका):						
(18.2) जका-कुठ होने की तिथि (संख्या अका बैंक का सहायगीत/अभेद संख्या/अभेद/सिवा-पति-काका):						
(19) अवधि:						
पूर्व अहरोला का विभाग						
<p>कृपया उक्त धारों की प्रतिलिपि (एहंड (गाटा) के वाद प्राप्त/सिवा/अका/समागत सभी) श्रेष्ठ खसरा संख्या पर सिलिक करें</p> <p>Disclaimer: यह अहरोला का अका/काका है, जका सिलका अका है, तहसील काका/कुठ केन्द्र एका ही एका सहायगीत/अभेद से उद्धरण की प्रतिलिपि प्रति गाटा की जा सकती है।</p> <p>Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.</p> <p>Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.</p>						





आदेश पत्रक

न्यायालय : नायब तहसीलदार, रिठौरा
मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : बरेली
वाद संख्या : -4455/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : -T202312130104455
हरीश कुमार चौधरी जई बनाम मुन्ना लाल पटेल
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

9

निर्णय

उपनिबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छायाप्रति मय शपथ पत्र प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इशतहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद मानते हुए वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा, उद्धरण खतीनी व वादी का शपथपत्र पत्रावली पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानुसार विक्रेता के अनुसूचित जाति के न होने क्रेता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई भी विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतीनी है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77,89 एवं 98 उ0प्र0रा0सं0-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अडचन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि:-

आदेश

ग्राम अहरोला तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतीनी फसली वर्ष 1429-1434 के खाता संख्या-00090 के गाटा संख्या 101 रकबा 0.7950 हे0 (सम्पूर्ण अंश) लगान 60ख के अनुसार से विक्रेता श्री मुन्ना लाल पटेल पुत्र छोटे लाल व श्री राम सेवक पटेल व अनादि कृष्ण देव पुत्रगण श्री नत्सू लाल निवासीगण डोहरिया तह. व जिला बरेली का नाम पृथक करके क्रेता बरेली विकास प्राधिकरण विकास ज्योति प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली द्वारा श्री हरीश कुमार चौधरी (अवर अभियन्ता) बरेली विकास प्राधिकरण बरेली का नाम उन्ही भूमिक अधिकारों में विक्रय विलेख संख्या 2968 बैनामा दिनांक 02.03.2023 के आधार पर दर्ज हो। वाद अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताधारित समस्त संलग्नको सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।
दिनांक- 06/07/2023

नायब तहसीलदार रिठौरा
तहसील सदर बरेली

नामान्तरण बरेली के जमा किया गया
01/07/2023

पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : नायब तहसीलदार रिठौरा
मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : बरेली
वाद संख्या : -4454/2023

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : -T202312130104454
हरीश कुमार चौधरी जई बनाम नरेश पाल सिंह

अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

4

निर्णय

उपनिबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छायाप्रति मय शपथ पत्र प्राप्त होने पर दर्ज करके इशतहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक का आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद मानते हुए वादी को साध्य का अवसर दिया गया। साध्य के रूप में मूल बैनामा, उद्धरण खतीनी व वादी का शपथपत्र पत्रावली पर रक्षित है। विक्रय विलेख शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता अनुसूचित जाति के संबन्ध नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानुसार विक्रेता के अनुसूचित जाति के न होने क्रेता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का समाज व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई भी विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतीनी है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77,89 एवं 90 उ०प्र०रा०सं०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अडचन प्रति नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि:-

आदेश

ग्राम अहरोला तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतीनी फसली वर्ष 1429-1434 के खाता संख्या-00054 के गाटा संख्या 144 रकबा 0.1640 हे० व गाटा संख्या 91/208 रकबा 0.1400 हे० (कुल रकबा 0.3040 हे० सम्पूर्ण बंश) लगान 60ब के अनुसार से विक्रेता श्री नरेश पाल सिंह पुत्र बाबू राम निवासी मोहनपुर उर्फ रामनगर तह. व जिला बरेली का नाम पृथक करके क्रेता बरेली विकास प्राधिकरण विकास ज्योति प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली द्वारा श्री हरीश कुमार चौधरी (अवर अभियन्ता) बरेली विकास प्राधिकरण बरेली का नाम उन्ही भूमिक अधिकारों में विक्रय विलेख संख्या 2939 बैनामा दिनांक 01.03.2023 के आधार पर दर्ज हो। वाद अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्त संलग्नको सहित पत्रावली अधिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 06/07/2023

नायब तहसीलदार रिठौरा
तहसील सदर बरेली

नायब तहसीलदार
नामान्तरण बही के पृष्ठ
के क्रम संख्या
उत्तरमद किया गया



आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : बरेली
वाद संख्या : 4458/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : T202312130104458
सत्य प्रकाश कशवाहा जेई बनाम अली हुसैन
अंतर्गत धारा :- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006


कार्यालय आख्या

उप निबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छाया प्रति मय शपथ प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इस्तहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद मानते हुये वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा उद्धरण खतीनी व वादी का शपथपत्र पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानानुसार विक्रेता/क्रेता के अनुसूचित जाति के न होने क्रेता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज, पट्टे व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतीनी है। क्रेता द्वारा शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रथम बार दायरा किया है तथा प्रार्थी का वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77,89 एवं 98 उ०प्र०रा०सं०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि-

आदेश

ग्राम अहरोला परगना व तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतीनी फसली बर्ष 1429-1434 के खाता संख्या-00004 के गाटा संख्या 146 रकबा 0.2420हे० कुल विक्रेता का सम्पूर्ण अंश लगान 60ख के अनुसार विक्रेता श्री अली हुसैन पुत्र श्री फिदा हुसैन निवासी ग्राम डोहरिया बरेली का नाम पृथक कर क्रेता बरेली विकास प्राधिकरण, विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली, 243122 (उ०प्र०), का नाम उन्ही भूमिक अधिकारों में बैनामा दिनांक 15.03.2023 के आधार पर दर्ज हो। रजिस्ट्रार कानूनगो आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में करा कर अपनी अनुपालन आख्या सहित एक प्रति तीन दिन में इस न्यायालय को वापस करना सुनिश्चित करें। अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहरताक्षरित समस्त संलग्नकों सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 23-06-2023


तहसीलदार न्यायिक
(सदर), बरेली।



आदेश पत्रक

न्यायालय: नायब तहसीलदार, रिठौरा
मण्डल: बरेली, जनपद: बरेली, तहसील: बरेली
वाद संख्या: -4513/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या: -T202312130104513
सत्यप्रकाश कुशवाहा बनाम मो० हुसैन
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

उपनिबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छायाप्रति मय शपथ पत्र प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इस्तहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद मानते हुए वादी को साक्ष्य का अबसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बीनामा, उद्धरण खतीनी व वादी का शपथपत्र पत्रावली पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिग भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानुसार विक्रेता के अनुसूचित जाति के न होने क्रेता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर गठबानेदारों में कोई भी विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतीनी है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77,89 एवं 98 उ०प्र०रा०म०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि:-

आदेश

ग्राम अहरोला तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतीनी फसली बर्ष 1429-1434 के छाता संख्या-00092 के गाटा संख्या 154 रकबा 0.2030 हे० में से 0.15225 हे० सम्पूर्ण अंश लगान 60ब के अनुसार से विक्रेता मो० हुसैन व श्री अफसर हुसैन पुत्रगण श्री मियां जान व श्रीमती सफीली उर्फ सफीला पत्नी श्री मियां जान निवासीगण दोहरिया तह. व जिला बरेली का नाम पृथक करके क्रेता बरेली विकास प्राधिकरण विकास ज्योति प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली द्वारा श्री सत्यप्रकाश कुशवाहा (अवर अभियन्ता) बरेली विकास प्राधिकरण बरेली का नाम उन्ही भौमिक अधिकारों में विक्रय विलेख संख्या 5954 बीनामा दिनांक 30.04.2023 के आधार पर दर्ज हो। वाद अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्त संलग्नकों सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जावे।

दिनांक- 06/07/2023

नायब तहसीलदार रिठौरा
तहसील सदर बरेली

01
06/07/2023

पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : नायब तहसीलदार, रिठौरा
मण्डल : बरेली, जूनपद : बरेली, तहसील : बरेली
वाद संख्या :- 4451/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202312130104451
हरीश कुमार चौधरी जई बनाम अलीजान
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006


निर्णय

उपनिबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छायाप्रति मय शपथ पत्र प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इशतहार जारी किये गये जो तामीना उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद मानते हुए वादी को साध्य का अवसर दिया गया। साध्य के रूप में मूल बैनामा, उद्धरण खतीनी व वादी का शपथपत्र पत्रावली पर रजित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रजित आख्यानानुसार विक्रेता के अनुसूचित जाति के न होने क्रेता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहज्जातेदारों में कोई भी विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतीनी है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77,89 एवं 98, 30प्र०रा०मं०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अडचन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि:-

आदेश

ग्राम अहरोला तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतीनी फसली बर्ष 1429-1434 के खात संख्या-00003 के गाटा संख्या 156 रकबा 0.1290 हे० (कुल रकबा 0.1290 हे० सम्पूर्ण बंश) लगान 60ख के अनुसार से विक्रेता श्री अलीजान व श्री मैकू बख्त व श्री रहीसउददीन व श्री इदरीश व श्री कमरुददीन पुत्रगण, छिद्रू व श्रीमती जमीलन पत्नी छिद्रू निवासीगण डोहरिया तह. व जिला बरेली का नाम पृथक करके क्रेता बरेली विकास प्राधिकरण विकास ज्योति प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली द्वारा श्री हरीश कुमार चौधरी (अवर अभियन्ता) बरेली विकास प्राधिकरण बरेली का नाम उन्हीं भौमिक अधिकारों में विक्रय विलेख संख्या 3065 बैनामा दिनांक 01.03.2023 के आधार पर दर्ज हो। वाद अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताभरित समस्त संलग्नको सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 06/07/2023


नायब तहसीलदार रिठौरा
तहसील सदर बरेली

नायब तहसीलदार बरेली

आदेश पत्रक किया गया


06/07/2023

पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : बरेली
वाद संख्या :- 5214/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202312130105214
सत्य प्रकाश केशवाहा बनाम उमर
अंतर्गत धारा :- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006


कार्यालय आख्या

उप निबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छाया प्रति मय शपथ प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इशतहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद मानते हुये वादी को साक्ष्य का अयसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा उद्धरण खतौनी व वादी का शपथपत्र पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानुसार विक्रेता/क्रेता के अनुसूचित जाति के न होने क्रेता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज, पटटे व सौलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई विवाद नहीं है। विक्रेता संग्रामणीय भूमिधर दर्ज खतौनी है। क्रेता द्वारा शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रथम बार दायरा किया है तथा प्रार्थी का वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77,89 एवं 98 उ०प्र०रा०सं०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि-

आदेश

ग्राम अहरोला परगना व तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतौनी फसली बर्ष 1429-1434 के खाता संख्या-00012 के गाटा संख्या 157 रकबा 0.1740हे० कुल विक्रेता का सम्पूर्ण अंश लगान 60ख के अनुसार विक्रेता श्री उमर व आले हसन व निराले व रहबुल हसन व आशिक हुसैन पुत्रगण श्री खलील व श्रीमती हमशीरन पत्नी श्री खलील निवासीगण ग्राम डोहरिया बरेली व श्री अतुल खण्डेलवाल पुत्र श्री विश्वनाथ खण्डेलवाल निवासी 199 ग्रीन पार्क बरेली का नाम पृथक कर क्रेता बरेली विकास प्राधिकरण, विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली, 243122 (उ०प्र०) का नाम उन्ही भूमिक अधिकारों में बैनामा दिनांक 30.05.2023 के आधार पर दर्ज हो। रजिस्ट्रार काननूगो आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में करा कर अपनी अनुपालन आख्या सहित एक प्रति तीन दिन में इस न्यायालय को वापस करना सुनिश्चित करें। अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्त संलग्नकों सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 12-07-2023


तहसीलदार न्यायिक
(सदर), बरेली।



Hindi

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

10/Sep/2023 11:15:48

ग्राम प्रबंधक : 1304119 ग्राम का नाम (ए/एच) : मोहनपुर उर्फ रामनगर (कोली) जलविधि : कोली जलसु : कोली फसाली सं० : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1
(1) गाटा संख्या : 00051

नोट : 1-यू/पुंन ओ संसलनिक भूमिपती केउअडिअर ये हे।

खतौदार का विवरण		खतौदारी प्राप्त होने का विवरण		भूमि का विवरण			खतौदार का अंश		
खतौदार/ गाटा संख्या	(2) गणपतिना-पती-संरक्षक-अनुबंध का नाम / नती कौड / अकार नं० (अंतिम चार अंक) अकार पैर नं० (5-9 स्थान के अंक) / पता / कन्वैरिडि (अवसरक हेतु)	(3) गणपतिना का नाम / कान्स्ट्रुकीज चट संख्या अकार अडेड संख्या / अडेड का डिजिट / कौड का अकार	(4) जमी	(5) गाटा (एकीक कौड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे.)	(7) किलो मी	(8) क्षेत्रफल हे(हे.)	(9) खतौदार गाटा पैर पूजाअवसर ;	
470मि	1) कन्वैरिडि सिडिनेरी/गामि, ग्राम		घर1400	470मि(1304190470200212)	0.2420	1) 1/1	1) 0.2420	6.10	
कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक टाकासक हे चट से हटन (सिस्टम) कुल पूजाअवसर - 0; टाकासक एक गाटा घरे कुल अंश का क्षेत्रफल - एक टाकासक मी का से हटन (सिस्टम)									
अकारनाम / परिचरिना का विवरण		खतौदार का विवरण			दुई विवरण गाटा				
(10) अकारनाम का नाम / कान्स्ट्रुकीज चट संख्या अकार अडेड संख्या / अडेड का डिजिट / अकारनाम का अकार / सिडिअल इतराअल नाम (पदनाम) / सिडिअल इतराअल डिजिट	(11) गणपतिना-पती-संरक्षक-अनुबंध का नाम / नती कौड / अकार नं० (अंतिम चार अंक) अकार पैर नं० (5-9 स्थान के अंक) / पता / कन्वैरिडि (अवसरक हेतु)	(12) गाटे का संख्या अकार / अकार / कौड	(13) क्षेत्रफल(हे.)	(14) गणपतिना-पती-संरक्षक-अनुबंध का नाम / अती कौड / अकार नं० (अंतिम चार अंक) अकार पैर नं० (5-9 स्थान के अंक) / पता / कन्वैरिडि (अवसरक हेतु)	(15) गाटे का संख्या अकार / एकीक कौड	(16) क्षेत्रफल(हे.)			
(17) भूमि के संबंधय ये शिवालयीन एकरव चट की कान्स्ट्रुकीज संख्या :									

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

10/Sep/2023 11:17:30

ग्राम क्रमांक : 130419 ग्राम का नाम (एतदर्थ) : मोहनपुर अमनगढ़ (मोहरी) कर्मचारी : सीता शर्मा : 1428-1434 (01 दस्ता, 2021 से 30 सित, 2027) भाग : 1 (1) कास संख्या : 00275

इसका उक्त खतौनी की प्रतिलिपि (पृष्ठद्वय) के बाद प्राप्त लिंकम (N-संख्या नमूनादेखें बर्दी) हेतु धारणा संख्या पर क्लिक करें।
Disclaimer: ऊपर उल्लेखित जानकारी केवल सूचना के लिए है, वास्तविकता का पता करने हेतु स्थानिक अधिकारी से संपर्क करना आवश्यक है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





Hindi

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

10/Sep/2023 11:19:26

ग्राम इलाका : 130419 ग्राम का नाम (पराग) : चौदण्ड अर्धनामगर (कोली) जिल्ला : कोली जिल्ला : कोली जिल्ला संख्या : 00263
 भाग : 1

नोट : 1-य / धूमि से संश्लेषण धूमिनी केन्द्रिका से हो।

खोदकर का विवरण		खोदकर प्रारम्भ होने का विवरण			धूमि का विवरण			खोदकर का अंत		
खोदकर/ गाटा संख्या	(2) न्यायनिका-पति-साधक-अधक का नाम / जाती कोड / अकार नं० (अन्तिम चार अंक) अकार पैर नं० (6-9 स्थान के अंक) / पत्ता / जन्मदिनि (अवसरक हेतु)	(3) न्यायनिका का नाम / न्यायनिका-अधक का नाम / जाती कोड / अकार नं० (अन्तिम चार अंक) अकार पैर नं० (6-9 स्थान के अंक) / पत्ता / जन्मदिनि (अवसरक हेतु)	(4) वर्ग	(5) गाटा (एकीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे.)	(7) धूमि से	(8) क्षेत्रफल (हे.)	(9) खोदकर प्रारम्भ होने की तिथि		
472	1) टन्नी देवी/पुण्ड्र टन्नी/ सि. ग्राम	1408%	472(1304190472000012)	0.3120	1) 1) 0.3120	1) 1) 0.3120	7.90			
<p>कुल गाटे- 08 कुल क्षेत्रफल- 8.27 एकड़ (हेक्टर) कुल धूमिफल - 8.27 एकड़ (हेक्टर) कुल अकार नं० का क्षेत्रफल - कुल टन्नीफल हीन एक से शून्य (हेक्टर)</p>										
न्यायनिका / धूमिनी का विवरण		खोदकर शुरू होने का विवरण			धूमि का विवरण			खोदकर का अंत		
(10) न्यायनिका का नाम / न्यायनिका-अधक का नाम / जाती कोड / अकार नं० (अन्तिम चार अंक) अकार पैर नं० (6-9 स्थान के अंक) / पत्ता / जन्मदिनि (अवसरक हेतु)	(11) न्यायनिका-पति-साधक-अधक का नाम / जाती कोड / अकार नं० (अन्तिम चार अंक) अकार पैर नं० (6-9 स्थान के अंक) / पत्ता / जन्मदिनि (अवसरक हेतु)	(12) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे.)	(13) क्षेत्रफल(हे.)	(14) न्यायनिका-पति-साधक-अधक का नाम / जाती कोड / अकार नं० (अन्तिम चार अंक) अकार पैर नं० (6-9 स्थान के अंक) / पत्ता / जन्मदिनि (अवसरक हेतु)	(15) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे.)	(16) क्षेत्रफल(हे.)				

(17) धूमि के संकथन में विचारनीय उक्त गाटे की न्यायनिका संख्या :

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

10/Sep/2023 11:21:08

ग्राम संख्या : 130419	ग्राम का नाम (सामान्य) : मोहनपुर उर्फ रामनगर (खतौनी)	कस्ब/तहसील : खतौली	जिल्ला : खतौली	पत्ता संख्या : 1429-1434 (01 अक्टूबर, 2021 से 30 अक्टूबर, 2027)	पाना : 1	(1) ग्राम संख्या : 00033
<p>1) अंसुवर अलाधिकार /20221215000787002517 /13-08-2022 /ग्राम /BRAHAMANAND SHARMA (REVENUE INSPECTOR) /25-07-2023</p> <p>2) राजव न्यायालय (राजव कस्ब/तहसील) /202312130104379 /06-07-2023 /शिव /BRAHAMANAND SHARMA (REVENUE INSPECTOR) /09-08-2023</p>	<p>बन्यादीपि (असफल रेट)</p> <p>1.1) राजव न्यायालय/राजव/खतौली (राजव न्यायालय) 0.0000</p> <p>2.1) अंसुवर मोहनपुर/खतौली 0.0043</p> <p>2.2) राजव न्यायालय (राजव कस्ब/तहसील) 0.0043</p> <p>2.3) अंसुवर मोहनपुर/खतौली 0.0043</p>	<p>477(1304190477000012)</p>	<p>1.1) 0.0130</p> <p>2.1) 0.0043</p> <p>2.2) 0.0044</p> <p>2.3) 0.0043</p>	<p>477(1304190477000012)</p>	<p>1.1) अंसुवर अलाधिकार/खतौली</p> <p>1.2) राजव न्यायालय/खतौली</p> <p>1.3) अंसुवर अलाधिकार/खतौली</p> <p>2.1) खतौली न्यायालय/खतौली</p> <p>2.2) खतौली न्यायालय/खतौली</p> <p>2.3) खतौली न्यायालय/खतौली</p>	<p>1.1) 0.0043</p> <p>1.2) 0.0044</p> <p>1.3) 0.0043</p> <p>2.1) 0.0130</p> <p>2.2) 0.0130</p>



Hindi

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

10/Sep/2023 11:23:41

ग्राम संख्या : 130419 ग्राम का नाम (परचम) : मोहनपुर उर्फ रामनगर (खौली) जमीन : खौली जमात : खौली फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) पान : 1

(1) जमा संख्या : 00131

शेती : 1-क / पृथि जो संवर्गावीय पृथिवी केवलिकार से हो।

खतौनी का विवरण	खतौनी प्राप्त होने का विवरण			पृथि का विवरण			खतौनी का अर्थ		
	(2) न्यायिक-परी-संरक्षण-प्रमाण का नाम / जमीनी कोड / अपार नं० (नज्जि या अरक) अथवा पैर नं० (6-9 स्थान के अरक) / पान / जमाति (अवकाश हेतु)	(3) न्यायिक का नाम / सन्वर्गावीय याद संख्या अथवा खतौनी संख्या / खतौनी का दिनांक / जोर का अथवा	(4) वर्ष	(5) गाटा (पृथीमा कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) जमीनी क्षेत्र	(8) क्षेत्रफल (हे०)	(9) खतौनी प्राप्त होने का प्रकार :	
480	प्रधान जिरा / उपपु / जि. ग्राम		चर 1400	480(13041904800000012)	0.4930		13.50		

कुल गाटे- 08 कुल क्षेत्रफल- 8750 टनमास का नौ तीन बट्ट (हेक्टर) कुल पृ-उपार - पान तीन टनमास तीन टन पाने

खतौनी का विवरण	खतौनी का विवरण			पृथि का विवरण			
	(10) न्यायिक का नाम / सन्वर्गावीय याद संख्या अथवा खतौनी संख्या / खतौनी का दिनांक / न्यायिक का अथवा / खतौनी प्राप्त होने का नाम (परचम) / खतौनी प्राप्त होने का दिनांक	(11) न्यायिक-परी-संरक्षण-प्रमाण का नाम / जमीनी कोड / अपार नं० (नज्जि या अरक) अथवा पैर नं० (6-9 स्थान के अरक) / पान / जमाति (अवकाश हेतु)	(12) गाटे का अथवा न्यायिक पृथीमा कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) न्यायिक-परी-संरक्षण-प्रमाण का नाम / जमीनी कोड / अपार नं० (नज्जि या अरक) अथवा पैर नं० (6-9 स्थान के अरक) / पान / जमाति (अवकाश हेतु)	(15) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे०)	(16) क्षेत्रफल(हे०)

(17) पृथि के संख्या में विवरणों पराम हट की सन्वर्गावीय संख्या :

(18) खतौनी-पुन होने की तिथि

(18.1) जमा होने की तिथि (संख्या अथवा पैर का न्यायिक-प्रमाण का दिनांक/खतौनी अथवा संख्या/खतौनी/पान-परी-संरक्षण) :

(18.2) जमा होने की तिथि (संख्या अथवा पैर का न्यायिक-प्रमाण का दिनांक/खतौनी अथवा संख्या/खतौनी/पान-परी-संरक्षण) :

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

10/Sep/2023 11:23:41

पत्र क्रमांक : 130419 पत्र का नाम (पराम) : मोहनपुर उद्योगकार (मैली) खतौनी : कोली जगह : कोली पत्ता संख्या : 1429-1434 (01 कुतब, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1
(1) खत संख्या : 00131

(19) अनुक्ति :

पूर्व आवेष्टी का विवरण

1) 143070 न्यायिक सर्वेक्षण कर कोली वड 80/2023/12130/1044/7/8/0 26.6.2023 को नटेश कुमार प्रम मोहनपुर उद्योगकार पत्रा न नमोलि व विरा कोली के उद्घरण खतौनी पत्ता संख्या 1429-1434 के खत संख्या-00131 के गाटा संख्या-480 एवं-0.493010, समूह अंत में लगभ 60वा के अग्रज निवेशक प्रम विर पूर नयु मिजगी प्रम मोहनपुर उद्योगकार खतौनी व विरा कोली का नय विरा कोली केगा कोली विभाग प्रशासन, विभाग खेति, खेतिखेती का गैर-मैली रीज कोली प्रम सर्वेक्षण कुतब (उधर अधिनियम) सी.डी.ए. विड कोली का नय खती भूमि अधिनियम 23/02/2023 के अन्तर्गत खतौनी संख्या 4.7.2023/5.7.2023

कृपया उक्त खतौनी की प्रतिलिपि (सुदृढ (गाटा) के वड प्रम/विभाग/ए-नसा/सांख्यिक खती) हेतु खतौनी संख्या पर विचार करें

Disclaimer: उक्त खतौनी का अमान्यता है, उक्त विवरण अमान्य है, खतौनी कम्प्यूटर केन्द्र में खतौनी प्रतिलिपि प्रम की जा सकती है ।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

10/Sep/2023 11:37:32

ग्राम संख्या : 130435	ग्राम का नाम (एनएस) : अहरोला (मौली)	सकलित : कोठी	असद : कोठी	धरती नं० : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027)	पान : 1	(1) पान संख्या : 00038
1) राजका न्यायालय (राजका खतौनीदार) /2023/12130104466 /06-07- 2023 /विक्रम /BRAHAMANAND SHARMA (REVENUE INSPECTOR) /08-08-2023	व्यक्तिगत (असद) वि० 1.1) शासकीय/राजपूतों लाल/श्री हर-नारायण खतौनी (दोष लेखक : 0.0000)	93(13043500930000012)	1.1) 0.0330	1.1) कोठी विकास प्रधिकारण/विकास ज्येष्ठ डिपार्टमेंट नगर रजिस्ट्रार रोड खतौनी/ग्राम की सदरमुकाम कुकवाला (असद अधीक्षण) कोठी विकास प्रधिकारण खतौनी	93(13043500930000012)	1.1) 0.0330
(17) पूर्ण के संख्या से विचारार्थ एकात्र बंद की कमायूरीकृत संख्या :						
(18) संख्या/संख्या-ग्राम होने की स्थिति						
(18.1) प्रकाश होने की स्थिति (सदर अथवा बैंक का नगर/कोटा/संख्या का दिनांक/पत्रादि/अवेदन संख्या/खतौनी/विशेष-पट्टी-संख्या) :						
(18.2) प्रकाश-पत्र होने की स्थिति (सदर अथवा बैंक का नगर/कोटा/संख्या-पत्र का दिनांक/पत्रादि/अवेदन संख्या/खतौनी/विशेष-पट्टी-संख्या) :						
(19) अनुच्छेद :						
पूर्व उद्धरण का विवरण						
<p>कृपया उक्त खतौनी की प्रतिलिपि (पृष्ठों के बजाए ग्राम/विकास/नगर/संख्या/नामांकन वगैरे) शीघ्र जमा संख्या पर जमा करके Disclaimer: उक्त अवेदन पत्र असद/संख्या-संख्या है, उक्त विकास अथवा बैंक, कर्ता/संख्या-संख्या केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है। Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre. Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.</p>						



:- बैनामा :-

-बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विक्रय विलेख:-

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	-	₹0-1,70,00,000.00 (प्रति हे0)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)	-	₹0-6,80,00,000.00 (प्रति हे0)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	-	₹0-1,48,78,400.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	-	₹0-1,48,78,400.00
ई-स्टाम्प का विवरण	-	₹0-10,41,530.00 (IN-UP93855309998418V)
निबन्धन शुल्क	-	₹0-1,48,790.00

विक्रय-विलेख

भूमि का प्रकार	-	सामान्य
ग्राम/मोहल्ला	-	अहरोला
परगना व तहसील	-	बरेली।
जनपद	-	बरेली।




विक्रीत सम्पत्ति का विवरण								
क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षेत्र (हे० में)	कुल क्षेत्र में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्षेत्र (हे० में)	मू. राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री आशीषाद	श्री सुरेश चन्द्र	10मि०	0.5470	0.2188	2/5 पूर्ण भाग	0.2188	

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.5470 हे० में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.2188 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण अंश है।

सड़क की स्थिति - कोई नहीं
परिसम्पत्ति - कोई नहीं

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरव	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	10मि०	गाटा संख्या-11	गाटा संख्या-09	सौमा ग्राम मोहनपुर उर्फ रागनगर बरेली।	गाटा संख्या-08 रास्ता

विक्रय मूल्य का भुगतान

कुल विक्रय मूल्य रू-1,48,78,400.00 (एक करोड़ अड़तालीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ रुपये मात्र) में से 1% टीडीएस की कटौती उपरान्त विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण :-

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता का नाम	पता	बैंक का नाम	चैक संख्या	चैक का दिनांक	भुगतान राशि
1	श्री आशीषाद	श्री सुरेश चन्द्र	मो० हवीयुल्ला खा जन्वी तहसील बीलपुर जिला पीलीभीत।	गंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्र नगर बरेली।	514368	27.05.2023	रू-1,47,29,616/-





आवेदन सं०: 202300787013208

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 10194

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि व प्रत्येकानुसार उक्त


विक्रेता: 1

श्री आशीर्वाद, पुत्र श्री सुरेश चंद्र

निवासी: मोहल्ला हदीधुल्ला खान जनुबी बीसतपुर पीलीभीत

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1




श्री बरेली विकास प्राधिकरण बरेली के टाकर हरीश कुमार चौधरी,

पुत्र श्री सियाराम चौधरी

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली

व्यवसाय: नौकरी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान


पहचानकर्ता: 1

श्री अवधेश शर्मा, पुत्र श्री मुखलाल

निवासी: ग्राम अहरोला बरेली

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्री सुभाष चंद्र गुप्ता, पुत्र श्री बबुलाल

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली

व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रमेश श्रीवास्तव

उप निबंधक : सदर द्वितीय

बरेली

07/07/2023

रानी श्रीवास्तव

निबंधक सिपिक बरेली

07/07/2023

प्रिंट करे



:- बैनामा :-

:-बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विक्रय विलेख:-

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	-	₹0-1,70,00,000.00 (प्रति हे०)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)	-	₹0-6,80,00,000.00 (प्रति हे०)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	-	₹0-74,39,200.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	-	₹0-74,39,200.00
ई-स्टाम्प का दिवरण	-	₹0-5,20,800.00
		(IN-UP96038550241474V)
निबन्धन शुल्क	-	₹0-74,400.00

	<u>विक्रय-विलेख</u>
भूमि का प्रकार	- सामान्य
ग्राम/मोहल्ला	- अहरोला
परगना व तहसील	- बरेली
जनपद	- बरेली

बरेली



क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रीत सम्पत्ति का विवरण					नू राजस्व
			गाटा संख्या	कुल क्षेत्र (हे० में)	कुल क्षेत्र में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्षेत्र (हे० में)	
1	श्री वरदान	श्री सुरेश चन्द्र	10मि०	0.5470	0.1094	1/5 पूर्ण भाग	0.1094	

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.5470 हे० में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.1094 हे० विक्रेता का अंश पूर्ण है।

सड़क की स्थिति - कोई नहीं
परिसम्पत्ति - कोई नहीं

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरुब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	10मि०	गाटा संख्या-11	गाटा संख्या-09	सीमा ग्राम मोहनपुर उर्षा रामनगर बरेली।	गाटा संख्या-08 रास्ता

विक्रय मूल्य का भुगतान

कुल विक्रय मूल्य ₹-74,39,200.00 (बौहत्तर लाख उन्तालीस हजार दो सौ रुपये मात्र) में से 1% टीडीएस की कटौती उपरान्त विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण :-

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता का नाम	पता	बैंक का नाम	बैंक संख्या	बैंक का दिनांक	भुगतान राशि
1	श्री वरदान	श्री सुरेश चन्द्र	मो० हबीबुल्ला आ जनुडी तहसील बीतलपुर जिला पीलीभीत।	पंजाब नेशनल बैंक, राजन्त नगर बरेली।	430790	27.05.2023	₹-73,84,808/-

वरदान



आवेदन सं०: 202300787013226

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 9819

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री वरदान, पुत्र श्री सुरेश चंद्र

निवासी: मोहल्ला हवीबुल्ला खान जनूबी बीसलपुर पीलीभीत

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

क्रेता: 1



श्री बरेली विकास प्राधिकरण बरेली के द्वारा हरीश कुमार चौधरी, पुत्र श्री सियाराम चौधरी

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1



श्री अवधेश शर्मा, पुत्र श्री सुखलाल

निवासी: ग्राम अहरोला बरेली

व्यवसाय: नौकरी

क्रेता: 2



श्री सुभाष चंद्र गुप्ता, पुत्र श्री बटु चंद्र गुप्ता

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली

व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रवि प्रकाश वर्मा

उप निबंधक, सदर प्रथम

बरेली

06/07/2023

शिवम मिश्रा

निबंधक लिपिक बरेली

06/07/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:





-: बैनामा :-

-: बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विक्रय विलेख:-

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	-	₹0-1,70,00,000.00 (प्रति हे०)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)	-	₹0-6,80,00,000.00 (प्रति हे०)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	-	₹0-1,48,78,400.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	-	₹0-1,48,78,400.00
ई-स्टाम्प का विवरण	-	₹0-10,41,530.00 (IN-UP96060650060279V)
निबन्धन शुल्क	-	₹0-1,48,790.00

विक्रय-विलेख

भूमि का प्रकार	-	सामान्य
ग्राम/मोहल्ला	-	अहरोला
परगना व तहसील	-	बरेली।
जनपद	-	बरेली।



विक्रीत सम्पत्ति का विवरण								
क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षेत्र (हे० में)	कुल क्षेत्र में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्षेत्र (हे० में)	मू. राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती मीनल	श्री वरदान	10मि०	0.5470	0.2188	2/5 पूर्ण भाग	0.2188	

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.5470 हे० में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.2188 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण अंश है।

सड़क की स्थिति - कोई नहीं

परिसम्पत्ति - कोई नहीं

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	10मि०	गाटा संख्या-11	गाटा संख्या-09	सीमा ग्राम मोहनपुर उर्फ रामनगर, बरेली।	गाटा संख्या-08 रास्ता

विक्रय मूल्य का भुगतान

कुल विक्रय मूल्य ₹0-1,48,78,400.00 (एक करोड़ अड़तालीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ रुपये मात्र) में से 1% टीडीएस की कटौती उपरान्त विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण -

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता का नाम	पता	बैंक का नाम	चैक संख्या	चैक का दिनांक	भुगतान राशि
1	श्रीमती मीनल	श्री वरदान	मो० हबीबुल्ला खा जनुषी तहसील बीलपुर जिला पीलीभीत।	पंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्र नगर बरेली।	914217	27 21-04-23	₹0-1,47,29,616/-

मीनल



आवेदन सं०: 202300787013228

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 9811

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 14878400 स्टाम्प शुल्क- 1041530 बाजारी मूल्य - 14879000 पंजीकरण शुल्क - 148790 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 148850

श्री बरेली विकास प्राधिकरण बरेली द्वारा
हरीश कुमार चौधरी अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री सियाराम चौधरी
व्यवसाय: अन्य
निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली



श्री. बरेली विकास प्राधिकरण बरेली द्वारा हरीश कुमार चौधरी अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 06/07/2023 एवं 02:51:42 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

रवि प्रकाश वर्मा
उप निबंधक सदर प्रथम
बरेली
06/07/2023

शिवम मिश्रा
निबंधक लिपिक
06/07/2023



-: बैनामा :-

--बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विक्रय विलेख--

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	-	₹0-1,70,00,000.00 (प्रति हे०)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)	-	₹0-6,80,00,000.00 (प्रति हे०)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	-	₹0-1,97,88,000.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	-	₹0-1,97,88,000.00
ई-स्टाम्प का विवरण	-	₹0-13,85,160.00
 निबन्धन शुल्क	-	 ₹0-1,97,880.00

विक्रय-विलेख

भूमि का प्रकार	-	कृषि
ग्राम/मोहल्ला	-	अहरोला
परगना व तहसील	-	बरेली।
जनपद	-	बरेली।

जादवी सिंह

Sunita



विक्रीत सम्पत्ति का विवरण								
क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षेत्र (हे० में)	कुल क्षेत्र में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्षेत्र (हे० में)	मू. राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री बादाम सिंह	स्व० श्री खेमकरन	18	0.2910	0.2910	1/2	0.1455	
2	श्रीमती सुनीता गंगवार	श्री धर्मनंद सिंह गंगवार				1/2	0.1455	

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.2910 हे० में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.2910 विक्रेतागण का अंश कुल 0.2910 हे० है।

सड़क की स्थिति - कोई नहीं।

परिसम्पत्ति - कोई नहीं।

विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी:-

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	18	गाटा संख्या-19, 22, 21	गाटा संख्या-17	सीमा ग्राम मोहनपुर उर्फ रामनगर	गाटा संख्या-23 नाली

विक्रय मूल्य का भुगतान:-

कुल विक्रय मूल्य ₹-1,97,88,000.00 (एक करोड़ सत्तानवे लाख अट्ठासी हजार रुपये मात्र) में से 1% टीडीएस की कटौती उपरान्त विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण :-

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता का नाम	पता	बैंक का नाम	यूटीआर नं० व दिनांक	चैक संख्या	चैक का दिनांक	भुगतान राशि
1	श्री बादाम सिंह	स्व० श्री खेमकरन	गौटिया, रामनगर, बरेली।	पंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्र नगर बरेली।	-	314253	02-05-23	₹-97,95,060/-
2	श्रीमती सुनीता गंगवार	श्री धर्मनंद सिंह गंगवार	जगतपुर, बरेली।	पंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्र नगर बरेली।	-	314254	02-05-23	₹-97,95,060/-

बादाम सिंह

Sunita



आवेदन सं०: 202300787016963

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6560

वर्ष: 2023


निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रत्येकानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्री बादाम सिंह, पुत्र श्री खेमकरन

निवासी: मोहनपुर उर्फ रामनगर, बरेली।

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 2




श्रीमती सुनीता गंगवार, पत्नी श्री धर्मेश सिंह गंगवार

निवासी: जगतपुर, बरेली।


व्यवसाय: अन्य

श्रेता: 1

श्री बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली। के द्वारा हरीश कुमार
चौधरी, पुत्र श्री सिधाराम चौधरी

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

व्यवसाय: नौकरी


ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री अवधेश शर्मा, पुत्र श्री सुखलाल

निवासी: नवदिया झाडा, बरेली।

व्यवसाय: नौकरी


पहचानकर्ता: 2



श्री सुधीश चन्द्र गुप्ता, पुत्र श्री धरेंद्र लाल

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

रमेश श्रीवास्तव
उप निबंधक : सदर द्वितीय
बरेली
09/05/2023रानी सख्तोष
निबंधक तिपिक बरेली
09/05/2023ने की प्रत्यक्षतः भुवि शकियों से विक्रान् अर्थात् नियमानुसार लिपि
भर है।
तिपिकी



-: बैनामा :-

-: बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विक्रय-विलेख :-

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	-	₹-1,70,00,000.00 (प्रति हे०)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)	-	₹-6,80,00,000.00 (प्रति हे०)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	-	₹-1,89,72,000.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	-	₹-1,89,72,000.00
ई-स्टाम्प का विवरण	-	₹-13,28,040.00
निबन्धन शुल्क	-	IN-UP-16819665237764V ₹-1,89,720.00

विक्रय-विलेख

भूमि का प्रकार	-	कृषि
ग्राम/मोहल्ला	-	अहरोला
परगना व तहसील	-	बरेली।
जनपद	-	बरेली।





विक्रीत सम्पत्ति का विवरण								
क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षेत्र (हे० में)	कुल क्षेत्र में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्षेत्र (हे० में)	भू राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री राजेश अग्रवाल	श्री हरीशंकर अग्रवाल	24	0.2790	0.2790	पूर्ण	0.2790	

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.2790 हे० में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.2790 हे० विक्रेता का अंश पूर्ण है।

सड़क की स्थिति - कोई नहीं

परिसम्पत्ति - कोई नहीं

विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी:-

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरव	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	24	गाटा संख्या-25	गाटा संख्या-14 व 15	गाटा संख्या-23 नाली	गाटा संख्या-27 रास्ता

विक्रय मूल्य का भुगतान:-

कुल विक्रय मूल्य ₹०-1,89,72,000.00 (एक करोड़ नवासी लाख बाहत्तर हजार रुपये मात्र) में से 1% टीडीएस की कटौती उपरान्त विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण :-

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता का नाम	पता	बैंक का नाम	बैंक संख्या	बैंक का दिनांक	भुगतान राशि
1	श्री राजेश अग्रवाल	श्री हरीशंकर अग्रवाल	129, आवास विकास सिविल लाइन्स, बरेली।	पंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्र नगर बरेली।	314206	25-05-23	₹०-1,87,82,280/-



आवेदन सं०: 202300787019711

विक्रय पत्र

पृष्ठी सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7607

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 18972000 स्टाम्प शुल्क- 1328040 बाजारी मूल्य- 18972000 पंजीकरण शुल्क - 189720 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 189780

श्री बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली। द्वारा
हरीश कुमार चौधरी अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री सिधाराम चौधरी
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।



श्री, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली। द्वारा
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 30/05/2023
एवं 02:55:26 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

हरीश कुमार चौधरी अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रवि प्रकाश वर्मा
उप निबंधक : सदर प्रथम
बरेली
30/05/2023

शिवम मिश्रा
निबंधक लिपिक
30/05/2023

प्रिंट करे





:- बैनामा :-

-बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विक्रय-विलेख :-

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	-	₹0-1,70,00,000.00 (प्रति हे०)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)	-	₹0-6,80,00,000.00 (प्रति हे०)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	-	₹0-1,89,04,000.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	-	₹0-1,89,04,000.00
ई-स्टाम्प का विवरण -	-	₹0-13,23,280.00
निबन्धन शुल्क	-	₹0-1,89,040.00

विक्रय-विलेख

भूमि का प्रकार	-	कृषि
ग्राम/मोहल्ला	-	अहरोला
परगना व तहसील	-	बरेली।
जनपद	-	बरेली।



विक्रीत सम्पत्ति का विवरण								
क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	गाटा संख्या	कुल हे० (हे० में)	कुल हे० में से विक्रय हेतु प्रस्तावित हे०	विक्रय हेतु प्रस्तावित हे० में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत हे० (हे० में)	भू राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती रागिनी अग्रवाल	श्री राजेश अग्रवाल	25	0.2780	0.2780	पूर्ण	0.2780	

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.2780 हे० में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.2780 हे० विक्रेता का अंश पूर्ण है।

सड़क की स्थिति - कोई नहीं

परिसम्पत्ति - कोई नहीं

विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी:-

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	25	गाटा संख्या-26	गाटा संख्या-24	गाटा संख्या-23 नाली	गाटा संख्या-27 रास्ता

विक्रय मूल्य का भुगतान:-

कुल विक्रय मूल्य रू०-1,89,04,000.00 (एक करोड़ नवासी लाख चार हजार रुपये मात्र) में से 1% टी.डी.एस की कटौती उपरान्त विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण :-

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	पता	बैंक का नाम	बैंक संख्या	बैंक का दिनांक	भुगतान राशि
1	श्रीमती रागिनी अग्रवाल	श्री हरीशंकर अग्रवाल	129, आवास विकास, सिविल लाइन्स, बरेली।	पंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्र नगर बरेली।	314307	25-06-23	रू०-1,87,14,960/-

Ragini




 B D A
 बूटलू डूतू डूतू डूतू डूतू

आवेदन सं०: 202300787019718

बही सं०: 1


रजिस्ट्रेशन सं०: 7757

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुस्र उक्त विक्रेता: 1

श्रीमती रागिनी अग्रवाल, पत्नी श्री राजेश अग्रवाल
निवासी: 129 आवास विकास सिविल लाइन्स, बरेली।

व्यवसाय: अन्य


क्रेता: 1 



श्री बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली। के द्वारा हरीश कुमार चौधरी, पुत्र श्री सिधाराम चौधरी

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

व्यवसाय: नौकरी





ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री अजयेश शर्मा, पुत्र श्री सुखलाल

निवासी: ग्राम अहरोला, बरेली।

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2 




श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता, पुत्र श्री बट्टू लाल


निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के प्रस्तावर


रजेंद्र श्रीवास्तव
उप निबंधक - सदर द्वितीय
बरेली
30/05/2023


रानी कुल्कर्णी
निबंधक सिविल बरेली
30/05/2023

ने भी। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निधान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

प्रिंट करे



आदेश पत्रक

न्यायालय : नायब तहसीलदार रिठौरा
मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : बरेली
वाद संख्या :- 4454/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202312130104454
हरीश कुमार चौधरी जई बनाम नरेश पाल सिंह
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

उपनिबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छायाप्रति मय शपथ पत्र प्राप्त होने पर व दर्ज करके इशतहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक व आपत्ति प्राप्त न होने के कारण बाद निर्विवाद मानते हुए वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा, उद्धरण खतीनी व वादी का शपथपत्र पत्रावली पर रक्षित है। विक्रय विलेख शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानुसार विक्रेता के अनुसूचित जाति के न होने क्रेता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई भी विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतीनी है। उपरोक्त वाद अंतर्गत धारा-77,89 एवं 98 उ0प्र0रा0सं0-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अडचन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि:-

आदेश

ग्राम अहरोला तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतीनी फसली वर्ष 1429-1434 के खाता संख्या-00054 के गाटा संख्या 144 रकबा 0.1640 हे0 व गाटा संख्या 91/208 रकबा 0.1400 हे0 (कुल रकबा 0.3040 हे0 सम्पूर्ण अंश) लगान 60ब के अनुसार से विक्रेता श्री नरेश पाल सिंह पुत्र बाबू राम निवासी मोहनपुर उर्फ रामनगर तह. व जिला बरेली का नाम पृथक करके क्रेता बरेली विकास प्राधिकरण विकास ज्योति प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली द्वारा श्री हरीश कुमार चौधरी (अवर अभियन्ता) बरेली विकास प्राधिकरण बरेली का नाम उन्ही भौमिक अधिकारों में विक्रय विलेख संख्या 2939 बैनामा दिनांक 01.03.2023 के आधार पर दर्ज हो। वाद अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्त संलग्नको सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 06/07/2023

नायब तहसीलदार रिठौरा
तहसील सदर बरेली

आदेश
नायब तहसीलदार बरेली
क काम रिकॉर्ड
अमलदरामद किया गया

आदेश
06/07/2023

पृष्ठ संख्या :



-: बैनामा :-

-: बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विक्रय विलेख:-

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	-	₹-1,70,00,000.00 (प्रति हे०)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)	-	₹-6,80,00,000.00 (प्रति हे०)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	-	₹-53,04,000.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	-	₹-53,04,000.00
ई-स्टाम्प का विवरण	-	₹-3,71,280.00
निबन्धन शुल्क	-	₹-53,040.00

विक्रय-विलेख

भूमि का प्रकार	-	कृषि
ग्राम/मोहल्ला	-	अहरोला।
परगना व तहसील	-	बरेली।
जनपद	-	बरेली।

मि. अ. अ. अ.
अ. अ. अ.

अ. अ. अ.
अ. अ. अ.



विक्रीत सम्पत्ति का विवरण								
क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षेत्र (हे० में)	कुल क्षेत्र में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्षेत्र (हे० में)	मू. राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती कुसुमा देवी	श्री त्रिलोक सिंह	82	0.078	0.078	अंश	0.039	
2	श्रीमती रेनु राठीर	श्री सुभाष चन्द्र					0.039	

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.0780 हे० में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.0780 हे० विक्रेतागण का अंश पूर्ण है।

सड़क की स्थिति - कोई नहीं

परिसम्पत्ति - कोई नहीं

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	82	चकमार्ग गाटा संख्या-83	गाटा संख्या-81	चकमार्ग गाटा संख्या-83	गाटा संख्या-79
2.					

विक्रय मूल्य का भुगतान

कुल विक्रय मूल्य ₹0-53,04,000.00 (तिरपन लाख चार हजार रुपये मात्र) में से 1% टीडीएस की कटौती उपरान्त विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण :-

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता का नाम	पता	बैंक का नाम	बैंक संख्या	बैंक का दिनांक	भुगतान राशि
1	श्रीमती कुसुमा देवी	श्री त्रिलोक सिंह	गुलडिया रजकुल निशा, बरेली।	पंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्र नगर बरेली।	914231	28/04/23	₹0-26,25,480/-
2	श्रीमती रेनु राठीर	श्री सुभाष चन्द्र	588 जनकपुरी, बरेली।	पंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्र नगर बरेली।	914232	28/04/23	₹0-26,25,480/-

श्रीमती कुसुमा देवी
श्रीमती रेनु राठीर

(Handwritten signature)



आवेदन सं०: 202300787011328

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6064

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्रीमती कुसुमा देवी, पत्नी श्री विलोक सिंह

निवासी: गुलडिया राजकुलनिशा बरेली

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 2



श्रीमती रेनु राठौर, पत्नी श्री सुभाष चंद्र

निवासी: 588 जनकपुरी बरेली

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

रेनु राठौर

श्री बरेली विकास प्राधिकरण बरेली के द्वारा हरीश कुमार
चौधरी, पुत्र श्री सियाराम चौधरी

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली

व्यवसाय: नौकरी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री अवधेश शर्मा, पुत्र श्री सुखलाल

निवासी: ग्राम अहरोला बरेली

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्री सुभाष चंद्र गुप्ता, पुत्र श्री सुदेश कुमार

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली

व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

रमेन्द्र श्रीवास्तव

उप निबंधक : सदर द्वितीय
बरेली

30/04/2023

ओम प्रकाश

निबंधक लिपिक बरेली

30/04/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे निष्पन्नानुसार
लिपि गण है।
दिप्यगी:

प्रिंट करे



95/1

आदेश पत्रक

न्यायालय : नायब तहसीलदार, रिठौरा
 मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : बरेली
 वाद संख्या :- 4466/2023
 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202312130104466
 सत्य प्रकाश कुशवाहा बनाम तारावती
 अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

2

9

निर्णय

उपनिबन्धक कार्यालय बरेली द्वारा विक्रय पत्र की छायाप्रति मय शपथ पत्र प्राप्त होने पर वाद दर्ज करके इशतहार जारी किये गये जो तामीला उपरान्त शामिल पत्रावली है निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्बिबाद मानते हुए वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा, उद्धरण खतीनी व वादी का शपथपत्र पत्रावली पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानानुसार विक्रेता के अनुसूचित जाति के न होने क्रेता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई भी विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतीनी है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77,89 एवं 98 उ०प्र०रा०स०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अडचन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि:-

आदेश


ग्राम अहरोला तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतीनी फसली बर्ष 1429-1434 के खाता संख्या- 00038 के गाटा संख्या 93 रकवा 0.0330 हे० व गाटा संख्या 98ख रकवा 0.0480 हे० व गाटा संख्या 99ख रकवा 0.0710 हे० (कुल रकवा 0.1520 हे० सम्पूर्ण अंश) लगान 60ख के अनुसार से विक्रेता श्री तारावती पत्नी श्री राममूर्ति लाल निवासी ग्राम हरुनगला तह. व जिला बरेली का नाम पृथक करके क्रेता बरेली विकास प्राधिकरण विकास ज्योति प्रियदर्शिनी नगर पीलीभीत रोड बरेली द्वारा श्री सत्यप्रकाश कुशवाहा (अवर अभियन्ता) बरेली विकास प्राधिकरण बरेली का नाम उसी भौमिक अधिकारों में विक्रय विलेख संख्या 4602 बैनामा दिनांक 01.04.2023 के आधार पर दर्ज हो। वाद अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताभरित समस्त संलग्नको सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 06/07/2023

नायब तहसीलदार रिठौरा
 तहसील सदर बरेली

नामान्तरण बही 01 के पृष्ठ
 के क्रम तहसील
 प्रमल दरामद किया गया
 06/07/2023

पृष्ठ संख्या :



-: बैनामा :-

-:शमंगगा नगर आवासीय योजना के विस्तार हेतु सहमति द्वारा क्रय हेतु विक्रय-विलेख का प्रारूप:-

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	-	₹0-1,70,00,000.00 (प्रति हे०)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)	-	₹0-6,80,00,000.00 (प्रति हे०)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	-	₹0-34,34,000.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	-	₹0-34,34,000.00
ई-स्टाम्प का विवरण	-	₹0-2,40,380.00
निबन्धन शुल्क	-	₹0-34,340.00

विक्रय-विलेख

भूमि का प्रकार	-	कृषि
ग्राम/मोहल्ला	-	अहरोला
परगना व तहसील	-	बरेली।
जनपद	-	बरेली।



7

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण								
क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्ष० (हे० में)	कुल क्ष० में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्ष०	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्ष० में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्ष० (हे० में)	भू राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री शशांक मोहन	श्री मोहनलाल मौर्य	26	0.2020	0.0505	अंश (1/4)	0.0505	
2	श्रीमती विमला देवी	श्री मोहनलाल मौर्य						

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.0505 हे० में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.0505 हे० विक्रेता का अंश पूर्ण है।

सड़क की स्थिति - कोई नहीं

परिसम्पत्ति - कोई नहीं

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	26	चकमार्ग गाटा संख्या-23	गाटा संख्या-25	चकमार्ग गाटा संख्या-23	सस्ता गाटा संख्या-27

विक्रय मूल्य का भुगतान

कुल विक्रय मूल्य रू०-34,34,000.00 (चौतीस लाख चौतीस हजार रुपये मात्र) में से 1% टीडीएस की कटौती उपरान्त विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण :-

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता का नाम	पता	बैंक का नाम	चैक संख्या	चैक का दिनांक	भुगतान राशि
1	श्री शशांक मोहन	श्री मोहनलाल मौर्य	461 जी लाल कंसरी भवन गुलाबाबाड़ी रोड नवादा शेखान बरेली।	पंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्र नगर बरेली।			रू०-17,17,000/-
2	श्रीमती विमला देवी	श्री मोहनलाल मौर्य	461 जी लाल कंसरी भवन गुलाबाबाड़ी रोड नवादा शेखान बरेली।	पंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्र नगर बरेली।			रू०-17,17,000/-



विमला देवी





आवेदन सं०: 202300787010331

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3702

वर्ष: 2023

निष्पादन प्रेषण पर वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि क प्रत्येकानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री शशांक मोहन, पुत्र श्री मोहन लाल शौर्ष

निवासी: 461 जी लाल केसरी भवन गुलबदाड़ी रोड नवादा रोडखान बरेली

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 2

Sharma



श्रीमती विमला देवी, पत्नी श्री मोहन लाल शौर्ष

निवासी: 461 जी लाल केसरी भवन गुलबदाड़ी रोड नवादा रोडखान बरेली

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 1

विमला देवी



श्री बरेली विकास प्राधिकरण बरेली के द्वारा हरीश कुमार चौधरी, पुत्र श्री सियाराम चौधरी

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली

व्यवसाय: नौकरी

Handwritten signature



ये निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री अवधेश शर्मा, पुत्र श्री सुखलाल

निवासी: अहरोला बरेली

व्यवसाय: नौकरी

सहचानकर्ता: 2

Handwritten signature



श्री सुभाष चंद्र गुप्ता, पुत्र श्री बटु लाल

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली

व्यवसाय: नौकरी

Handwritten signature



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

Handwritten signature of Registrar

रमेश श्रीवास्तव

उप निबंधक: सट्टर द्वितीय

बरेली

18/03/2023

शशी सक्सेना

निबंधक लिपिक बरेली

18/03/2023

ने की। प्रत्येक अंश साक्षियों के मिश्रण अंगूठे मिश्रणानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:



पिट करे



:- बैनामा :-

:-रामगंगा नगर आवासीय योजना के विस्तार हेतु सहमति द्वारा क्रय हेतु विक्रय-विलेख का प्रारूप:-

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	-	₹-1,70,00,000.00 (प्रति हे०)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)	-	₹-6,80,00,000.00 (प्रति हे०)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	-	₹-34,57,218.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	-	₹-(34,34,000+23,218)
	-	₹-34,57,218.00
ई-स्टाम्प का विवरण	-	₹-2,42,060.00
निबन्धन शुल्क	-	₹-34,580.00

विक्रय-विलेख

भूमि का प्रकार	-	सामान्य
ग्राम/मोहल्ला	-	अहरोला
परगना व तहसील	-	बरेली।
जनपद	-	बरेली।

आमपाल



विक्रीत सम्पत्ति का विवरण								
क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षेत्र (हे० में)	कुल क्षेत्र में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अंश	हिस्ते के अनुसार विक्रीत क्षेत्र (हे० में)	मू. राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री ओमपाल	श्री पोथीराम	26	0.2020	0.0505	1/4	0.0505	

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.2020 हे० में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.0505 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण अंश है।

सड़क की स्थिति - कोई नहीं

परिसम्पत्ति - 23,218.00 (एक बोरिंग)

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	26	बकमार्ग गाटा संख्या-23	गाटा संख्या-25	बकमार्ग गाटा संख्या-23	रास्ता गाटा संख्या-27

विक्रय मूल्य का भुगतान

कुल विक्रय मूल्य रू०-34,57,218.00 (बाँतीस लाख सत्तावन हजार दो सौ अट्ठारह रुपये मात्र) में से 1% टीडीएस की कटौती उपरान्त विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण :-

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता का नाम	पता	बैंक का नाम	यूटीआर नं० व दिनांक	बैंक संख्या	बैंक का दिनांक	भुगतान राशि
1	श्री ओमपाल	श्री पोथीराम	मोहनपुर उर्फ रामनगर, बरेली।	पंजाब नेशनल बैंक राजन्ध नगर बरेली।	-	430723	4-3-23	रू०-32,36,918.00
	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक ग्लोबल रजिस्ट्रार, बरेली। ऋण बैंक खाता संख्या-1493160000217 आईएफएससी कोड-PSIBIN021493							रू०-2,20,300

ओमपाल



आवेदन सं०: 202300787008771

वर्ग सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3268

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रतेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री ओमपाल, पुत्र श्री पोधीराम

निवासी: ग्राम अहरोला बरेली

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

ओमपाल



श्री बरेली विकास प्राधिकरण बरेली के द्वारा सत्य प्रकाश कुशवाहा जेई, पुत्र श्री आर बी एल कुशवाहा

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली

व्यवसाय: नौकरी

CA



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1


श्री अक्षय शर्मा, पुत्र श्री सुखलाल

निवासी: ग्राम अहरोला बरेली

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

A



श्री सुभाष चंद्र गुप्ता, पुत्र श्री बट्टू लाल

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली

व्यवसाय: नौकरी



ने की। प्रत्यक्ष भद्र साक्षियों के निशान प्रमाणानुसार लिए गए हैं।
दिपण्णी:



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

श्री श्री राजन रजपूत प्रभारी
उप निबंधक, सत्तर प्रथम
बरेली

04/03/2023

शिवम मिश्रा
निबंधक लिपिक बरेली
04/03/2023

प्रिंट करें



:- बैनामा :-

:- बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विक्रय विलेख:-

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	-	₹-1,70,00,000.00 (प्रति हे०)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का ४ गुना)	-	₹-6,80,00,000.00 (प्रति हे०)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	-	₹-34,34,000.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	-	₹-34,34,000.00
स्टाम्प शुल्क	-	₹-2,40,380.00
निबन्धन शुल्क	-	₹-34,340.00

विक्रय-विलेख

भूमि का प्रकार	-	कृषि
ग्राम/मोहल्ला	-	अहरोला।
परगना व तहसील	-	बरेली।
जनपद	-	बरेली।



विक्रीत सम्पत्ति का विवरण								
क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षेत्र (हे० में)	कुल क्षेत्र में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्षेत्र (हे० में)	शुल्क राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	श्री हरीशकर अग्रवाल	26	0.2020	0.0505	1/4 पूर्ण भाग	0.0505	

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.2020 हे० में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.0505 हे० विक्रेता का अंश पूर्ण है।

सड़क की स्थिति - कोई नहीं।
परिसरम्पत्ति - कोई नहीं।

विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी-

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	26	गाटा संख्या-20	गाटा संख्या-25	गाटा संख्या-23 नाली	गाटा संख्या-27 रास्ता

विक्रय मूल्य का भुगतान-

विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण, कुल विक्रय मूल्य रु०-34,34,000.00 (चौतीस लाख

चौतीस हजार रुपये मात्र)

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता का नाम	पता	बैंक का नाम	चैक संख्या	चैक का दिनांक	भुगतान राशि
1	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	श्री हरीशकर अग्रवाल	129 आवास विकास सिटिल लाइन्स बरेली	पंजाब नेशनल बैंक राजेन्द्र नगर बरेली	514409	01.07.23	रु०-34,34,000/-





आवेदन सं०: 202300787027056

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 10577

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री राजेश अग्रवाल, पुत्र श्री हरीशंकर अग्रवाल

निवासी: 129 आवास विकास, सिविल लाइन्स बरेली।

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1



श्री बरेली विकास प्राधिकरण बरेली। के द्वारा सत्यप्रकाश कुशवाहा, पुत्र श्री आर०बी०एल० कुशवाहा

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली।

व्यवसाय: नौकरी




ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री अवधेश कुमार, पुत्र श्री सुखलाल

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली।

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्री ओमप्रकाश सिंह श्री भवानीराम

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली।

व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रवि प्रकाश वर्मा
उप निबंधक : सदर प्रथम
बरेली

20/07/2023

चरिन्द्रपाल सिंह
निबंधक लिपिक बरेली
20/07/2023





:- बैनामा :-

:- बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विक्रय विलेख :-

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	-	₹-1,70,00,000.00 (प्रति हे०)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)	-	₹-6,80,00,000.00 (प्रति हे०)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	-	₹-1,17,64,000.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	-	₹-1,17,64,000.00
ई-स्टाम्प का विवरण	-	₹-8,23,480.00
निबन्धन शुल्क	-	₹-1,17,640.00

विक्रय-विलेख

भूमि का प्रकार	-	सामान्य
ग्राम/मोहल्ला	-	अहरोला
परगना व तहसील	-	बरेली।
जनपद	-	बरेली।



विक्रीत सम्पत्ति का विवरण								
क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षे० (हे० में)	कुल क्षे० में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षे०	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षे० में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्षे० (हे० में)	भू राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आकाश विल्ड टैंक प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर श्री श्याम सिंह राठीर	श्री सत्यदेव राठीर	102	0.1730	0.1730	पूर्ण	0.1730	

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.1730 हे० में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.1730 हे० विक्रेता का अंश पूर्ण है।

सड़क की स्थिति - कोई नहीं

परिसम्पत्ति - कोई नहीं

विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी:-

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	102	गाटा संख्या-103	गाटा संख्या-123	गाटा संख्या-92	गाटा संख्या-107

विक्रय मूल्य का भुगतान:-

कुल विक्रय मूल्य ₹०-1,17,64,000.00 (एक करोड़ सत्रह लाख चौसठ हजार रुपये मात्र) में से 1% टीडीएस की कटौती उपरान्त विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण :-

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता का नाम	पता	बैंक का नाम	चैक संख्या	चैक का दिनांक	भुगतान राशि
1	आकाश विल्ड टैंक प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर श्री श्याम सिंह राठीर	श्री सत्यदेव राठीर	100 आशीष रायल पार्क, बरेली।	पंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्र नगर बरेली।	514384	29.05.2023	₹०-1,16,46,360/-

बही सं: 1

रजिस्ट्रेशन सं: 8739

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री आकाश बिल्ड टैंक प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर
श्याम सिंह राठौर, पुत्र श्री सत्यदेव राठौर

निवासी: 100 आशीष रॉयल पार्क बरेली।

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1



श्री बरेली विकास प्राधिकरण बरेली। के द्वारा सत्य
प्रकाश कुशवाहा, पुत्र श्री आर बी एल कुशवाहा

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली।

व्यवसाय: नौकरी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री अवधेश शर्मा, पुत्र श्री सुखलाल

निवासी: ग्राम अहरोला बरेली।

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता, पुत्र श्री बट्ट लाल

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली।

व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रवि प्रकाश वर्मा
उप निबंधक सदर प्रथम
बरेली
16/06/2023

आदिल बेग
निबंधक लिपिक बरेली
16/06/2023



प्रिंट करें



-: बैनामा :-

-बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विक्रय विलेख:-

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	-	₹0-1,70,00,000.00 (प्रति हे०)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)	-	₹0-6,80,00,000.00 (प्रति हे०)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	-	₹0-74,12,000.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	-	₹0-74,12,000.00
ई-स्टाम्प का विवरण	-	₹0-5,18,840.00
		(INUP2082015591770IV)
निबन्धन शुल्क	-	₹0-74,120.00

निबन्धन शुल्क

विक्रय-विलेख

भूमि का प्रकार	-	कृषि
ग्राम/मोहल्ला	-	अहरोला
परगना व तहसील	-	बरेली।
जनपद	-	बरेली।

Humana

अंजू कटियार

 मंजू मंगवार

On

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षेत्र (हे० में)	कुल क्षेत्र में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्षेत्र (हे० में)	नू राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री आशुतोष कटियार (ना०बा०१७ वर्ष) सरसक श्री सुभाष चन्द कटियार (पिता समा)	श्री सुभाष चन्द कटियार	75	0.1090	0.1090	1/3 पूर्ण भाग	0.1090	
2	श्रीमती अजू कटियार	श्री अनुज राठौर				1/3 पूर्ण भाग		
3	श्रीमती मजू	श्री नेतराम सिंह				1/3 पूर्ण भाग		

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.1090 हे० में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.1090 हे० विक्रेतागण का अंश पूर्ण है।

सड़क की स्थिति - कोई नहीं।

परिसम्पत्ति - कोई नहीं।

विक्रीत सम्पत्ति की धोहददी :-

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरुब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	75	गाटा संख्या-73	चकमार्ग	गाटा संख्या-76	गाटा संख्या-74

विक्रय मूल्य का भुगतान :-

कुल विक्रय मूल्य ₹०-73,57,600.00 (तिहत्तर लाख सत्तावन हजार छः सौ रुपये मात्र) में से 1% टीडीएस की कटौती उपरान्त विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण :-

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	पता	बैंक का नाम	बैंक संख्या	बैंक का दिनांक	भुगतान राशि
1	श्री आशुतोष कटियार (ना०बा०१७ वर्ष) सरसक श्री सुभाष चन्द कटियार (पिता समा)	श्री सुभाष चन्द कटियार	475 माधोबाडी पुरानी माधिस फाँकटी	पंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्र नगर बरेली।	514394	21-05-23	₹०-24,45,959/-
2	श्रीमती अजू कटियार	श्री अनुज राठौर	475 माधोबाडी पुरानी माधिस फाँकटी		514395	21-05-23	₹०-24,45,960/-
3	श्रीमती मजू	श्री नेतराम सिंह	209 तुलसी नगर-बीलीगीत बाईपुल बरेली		514396	21-05-23	₹०-24,45,960/-

बन्धु

अजू कटियार

मजू गंगवार

BDA



BHULEKH
Uttar Pradesh

Hindi

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

10/Sep/2023 13:51:17

पत्र संख्या : 130435 पत्र का नाम (पत्रक) : अर्द्धवर्ष (सेंटी) जमीन : सेंटी जलस्य : सेंटी खतौनी सं : 1429-1434 (01 इकाई, 2021 से 30 जून, 2027) पत्रक : 1 (1) पत्रक संख्या : 00075

श्रेणी : 1-अ / पृष्ठ नं० संकल्पित पृष्ठनं० केअधिकात् से हो।

खतौनी नं० विवरण	खतौनी प्रारम्भ होने का विवरण			भूमि का विवरण			खतौनी का अंश		
	(2) अर्द्धवर्ष-पत्ती-आधार- प्रकार का पत्र / खतौनी कोट / अंश नं० (अर्द्धवर्ष का अंश) अंश नं० (6-9 संख्या के अंश) / पत्र / अर्द्धवर्ष (अंशक से)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत बट्ट संख्या अथवा अर्द्धवर्ष संख्या / अर्द्धवर्ष का दिनांक / अंश का अंश	(4) वर्ग	(5) पत्र (पृथक कोट)	(6) पट्टे का कुल क्षेत्रफल(हे.)	(7) शेष क्षेत्र	(8) क्षेत्रफल मैट्रिक	(9) खतौनी प्रारंभ होने का दिनांक :	
115	1) खतौनी विवरण प्रविष्टि विवरण खतौनी प्रविष्टि खतौनी प्रारंभ करार नौपरी (अंश अधिवर्ष/खतौनी विवरण प्रविष्टि से)	1) न्यायालय (पञ्च तहसील) /T202312130104020 /19-07-2023 /विश्व	14.14म ²	115(1304350115000012)	0.4380	1) - 0.4380	1) 0.00		
कुल पट्टे-ए	कुल क्षेत्रफल-द्वय टाकास पर हीन अंश रूप (सेंटी)	कुल क्षेत्रफल-द्वय टाकास पर हीन अंश रूप (सेंटी)					0.4380		
समाप्ति / परीक्षा का विवरण	कारिक विवरण			दर्श विवरण					
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत बट्ट संख्या अथवा अर्द्धवर्ष संख्या / अर्द्धवर्ष का दिनांक / न्यायालय का अंश / अर्द्धवर्ष संख्या का नाम (पत्रक) / अर्द्धवर्ष संख्या दिनांक	(11) अर्द्धवर्ष-पत्ती-आधार- प्रकार का पत्र / खतौनी कोट / अंश नं० (अर्द्धवर्ष का अंश) अंश नं० (6-9	(12) पट्टे का खतौनी संख्या / पृथक कोट	(13) क्षेत्रफल(हे.)	(14) न्यायालय-पत्ती-आधार-प्रकार का पत्र / खतौनी कोट / अंश नं० (अर्द्धवर्ष का अंश) अथवा पत्र नं० (6-9 संख्या के अंश) / पत्र / अर्द्धवर्ष (अंशक से)	(15) पट्टे का खतौनी संख्या / पृथक कोट	(16) क्षेत्रफल(हे.)			




-: बैनामा :-

-:रामगंगा नगर आवासीय योजना के विस्तार हेतु सहमति द्वारा क्रय हेतु विक्रय-विलेख का प्रारूप:-

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	-	₹-1,70,00,000.00 (प्रति हे०)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)	-	₹-6,80,00,000.00 (प्रति हे०)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	-	₹-1,50,28,000.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	-	₹-1,50,28,000.00
ई-स्टाम्प का विवरण	-	₹-10,51,960.00 ✓
निबन्धन शुल्क	-	₹-1,50,340.00

विक्रय-विलेख

भूमि का प्रकार	-	सागान्य
ग्राम/मोहल्ला	-	अहरोला
परगना व तहसील	-	बरेली।
जनपद	-	बरेली।



विक्रीत सम्पत्ति का विवरण								
क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षेत्र (हे० में)	कुल क्षेत्र में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्षेत्र (हे० में)	भू राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती भावना मिश्रा	श्री उमेश चन्द्र त्रिवेदी / श्री सुमति कुमार मिश्रा	116	0.2210	0.2210	पूर्ण भाग	0.2210	

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.2210 हे० में सं विक्रीत क्षेत्रफल 0.2210 हे० विक्रेता का अंश 0.2210 हे० है।

सड़क की स्थिति - कोई नहीं
परिसम्पत्ति -

विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरव	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	116	गाटा संख्या-117 व 118	गाटा संख्या-115	नाली (गाटा संख्या-109)	गाटा संख्या-120

विक्रय मूल्य का भुगतान

कुल विक्रय मूल्य ₹०-1,50,28,000.00 (एक करोड़ पचास लाख अठाईस हजार रुपये मात्र) में से 1% टीडीएस की कटौती उपरान्त विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण :-

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	पता	बैंक का नाम	बैंक संख्या	बैंक का दिनांक	भुगतान राशि
1	श्रीमती भावना मिश्रा	श्री उमेश चन्द्र त्रिवेदी / श्री सुमति कुमार मिश्रा	3-एम टाईप जेल रोड, बरेली।	पंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्र नगर बरेली।	139612	06.02.2023	₹०-1,48,77,720/-

आवेदन सं०: 202300787005190

शही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 1862

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विवेचना: 1

श्रीमती भावना मिश्रा, पत्नी श्री सुमति कुमार मिश्रा

निवासी: 3 एम० टाईप जेल रोड, बरेली।

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1



श्री बरेली विकास प्राधिकरण बरेली के द्वारा हरीश कुमार चौधरी जेई, पुत्र श्री सियाराम चौधरी

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली।

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1



श्री अवधेश शर्मा, पुत्र श्री सुखलाल

निवासी: मोहनपुर उर्फ रामनगर बरेली।

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2




श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता, पुत्र श्री बट्टू लाल

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली।

व्यवसाय: नौकरी

ने की। प्रत्यक्ष साक्षि के निशान अंगुठे निम्नानुसार
लिए गए है।
टिप्पणी:



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रवि प्रकाश वर्मा
उप निबंधक: सदर प्रथम
बरेली
07/02/2023

शिवम मिश्रा
निबंधक लिपिक बरेली
07/02/2023



-: बैनामा :-

-: बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विक्रय विलेख :-

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	-	₹0-1,70,00,000.00 (प्रति हे०)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)	-	₹0-6,80,00,000.00 (प्रति हे०)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	-	₹0-2,78,12,000.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	-	₹0-2,78,12,000.00
ई-स्टाम्प का विवरण	-	₹0-19,46,840.00
निबन्धन शुल्क	-	₹0-2,78,120.00

विक्रय-विलेख

भूमि का प्रकार	-	सामान्य
ग्राम/मोहल्ला	-	अहरोला
परगना व तहसील	-	बरेली।
जनपद	-	बरेली।



विक्रीत सम्पत्ति का विवरण								
क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षेत्र (हे० में)	कुल क्षेत्र में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्षेत्र (हे० में)	भू राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	आशीष बिल्ड टेक प्रा० लि० अधिकृत प्रतिनिधि श्री मनोज सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह	147	0.2050	0.2050	पूर्ण	0.2050	
			148	0.2040	0.2040	पूर्ण	0.2040	

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.4090 हे० में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.4090 हे० विक्रेता का अंश पूर्ण है।

सड़क की स्थिति - कोई नहीं

परिसम्पत्ति - कोई नहीं

विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी:-

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरुब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	147	गाटा संख्या-148	गाटा संख्या-148	गाटा संख्या-145	गाटा संख्या-150 रास्ता
2	148	गाटा संख्या-149	गाटा संख्या-147	गाटा संख्या-145	गाटा संख्या-150 रास्ता

विक्रय मूल्य का भुगतान:-

कुल विक्रय मूल्य ₹०-2,78,12,000.00 (दो करोड़ अटहत्तर लाख बारह हजार रुपये मात्र) में से 1% टीडीएस की कटौती उपरान्त विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण :-

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता का नाम	पता	बैंक का नाम	चैक संख्या	चैक का दिनांक	भुगतान राशि
	आशीष बिल्ड टेक प्रा० लि० अधिकृत प्रतिनिधि श्री मनोज सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह	घयन बिहार, बरेली।	पंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्र नगर बरेली।	514376	21-05-2023	₹०-2,75,33,880/-





बही सं०: ।

रजिस्ट्रेशन सं०: 8738

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: ।

श्री आशीष बिल्ड टैक प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर
मनोज सिंह, पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह

निवासी: पवन बिहार बरेली।

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: ।



श्री बरेली विकास प्राधिकरण बरेली। के द्वारा सत्य
प्रकाश कुशवाहा, पुत्र श्री आर.बी.एल कुशवाहा

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली।

व्यवसाय: नौकरी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: ।

श्री अवधेश शर्मा सुखलाल अहरोला बरेली, पुत्र श्री
सुखलाल

निवासी: अहरोला बरेली।

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता, पुत्र श्री बट्टलाल

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली।

व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रवि प्रकाश वर्मा

उप निबंधक - सदर प्रथम

बरेली

16/06/2023

आदिल बेग

निबंधक लिपिक बरेली

16/06/2023



नेकी। प्रत्यक्षतः भद्र सौधियों के प्रेषण अर्ह
नियमानुसार लिए गए है।
दिनांक



-: बैनामा :-

- बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विक्रय विलेख :-

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	-	₹-1,70,00,000.00 (प्रति हे०)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)	-	₹-6,80,00,000.00 (प्रति हे०)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	-	₹-1,12,88,000.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	-	₹-(1,12,88,000.00+23,218.00)
	-	₹-1,13,11,218.00
ई-स्टाम्प का विवरण	-	₹-7,91,840.00
निबन्धन शुल्क	-	₹-1,13,120.00

विक्रय-विलेख

भूमि का प्रकार	-	सामान्य
ग्राम/मोहल्ला	-	अहरोला
परगना व तहसील	-	बरेली।
जनपद	-	बरेली।

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रीत सम्पत्ति का विवरण					
			गाटा संख्या	कुल क्षेत्र (हे० में)	कुल क्षेत्र में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्षेत्र (हे० में)	मू. राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिद्धिदात्री बिल्ड टैक प्रा० लि० अधिकृत प्रतिनिधि श्री मनोज सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह	155	0.1660	0.1660	पूर्ण	0.1660	

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.1660 हे० में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.1660 हे० विक्रेता का अंश पूर्ण है।

सड़क की स्थिति

- कोई नहीं

परिसम्पत्ति

- 23,218.00 (बोरिंग)

(अधिशाली अभियन्ता लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्यांकित धनराशि)

विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी-

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरुब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	155	गाटा संख्या-154	गाटा संख्या-156	गाटा संख्या-150 यकमार्ग	गाटा संख्या-158

विक्रय मूल्य का भुगतान:-

कुल विक्रय मूल्य ₹०-1,13,11,218.00 (एक करोड तेरह लाख ग्यारह हजार दो सौ अठ्ठारह रुपये मात्र) में से 1% टीडीएस की कटौती उपरान्त विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण :-

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता का नाम	पता	बैंक का नाम	बैंक संख्या	बैंक का दिनांक	भुगतान राशि
1	सिद्धिदात्री बिल्ड टैक प्रा० लि० अधिकृत प्रतिनिधि श्री मनोज सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह	पवन विहार बरेली।	पंजाब नेशनल बैंक राजेन्द्र नगर बरेली।	514379	29-05-2025	₹०-1,11,98,106/-





आवेदन सं०: 202300787021640

पृष्ठ सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 8926

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखापत्र वाद सुनने व समाझने मजसुम व प्राप्ता धनराशि व प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री सिद्धिदात्री बिल्ड टैंक प्रा० लि० द्वारा आयुक्तर मनोज सिंह, पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह
 निवासी: पबन बिहार बरेली।
 व्यवसाय: अन्न
 केता: 1



श्री बरेली विकास प्राधिकरण बरेली। के द्वारा सत्यजनता कुशवाहा, पुत्र श्री आर.बी.एस कुशवाहा
 निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली।
 व्यवसाय: नौकरी



जे निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री अजयेश शर्मा, पुत्र श्री मुख्तार
 निवासी: अहरोला बरेली।



व्यवसाय: नौकरी
 पहचानकर्ता: 2

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, पुत्र श्री बटलार
 निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली।
 व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

रमेश श्रीवास्तव
 उप निबंधक - सदर दफ्तरिय
 बरेली
 16/06/2023

रानी लक्ष्मी
 निबंधक लिपिक बरेली
 16/06/2023



ने की। प्रत्यक्षिते भूद संस्थितो के निस्तान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

दिप्यगी

प्रिंट करे



-: बैनामा :-

-: बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विक्रय विलेख :-

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	-	₹0-1,50,00,000.00 (प्रति हे०)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का ४ गुना)	-	₹0-6,00,00,000.00 (प्रति हे०)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	-	₹0-7,80,000.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	-	₹0-7,80,000.00
ई-स्टाम्प का विवरण	-	₹0-54,600.00
निबन्धन शुल्क	-	₹0-7,800.00

विक्रय-विलेख

भूमि का प्रकार	-	सामान्य
ग्राम/मोहल्ला	-	मोहनपुर उर्फ रामनगर।
परगना व तहसील	-	बरेली।
जनपद	-	बरेली।

देवेंद्र सिंह अग्रवाल-टीएचपटेल

उजाला पटेल
Brajpati

Manima



विक्रीत सम्पत्ति का विवरण								
क्र.सं.	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षेत्र (हे० में)	कुल क्षेत्र में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्षेत्र (हे० में)	भू राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री देवेन्द्र सिंह	श्री प्रताप सिंह पटेल	478	0.0130	0.0130	1/3 पूर्ण भाग	0.0130	
2	श्री अरविन्द सिंह पटेल					1/3 पूर्ण भाग		
3	श्रीमती प्रगति पटेल	श्री महेश कुमार				1/6 पूर्ण भाग		
4	श्रीमती गरिमा पटेल	श्री मुनीश कुमार				1/6 पूर्ण भाग		

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.0130 हे० में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.0130 हे० विक्रेतागण का अंश पूर्ण है।

सड़क की स्थिति - कोई नहीं।

परिसम्पत्ति - कोई नहीं।

विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी:-

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	478	गाटा संख्या-481 धकमार्ग	गाटा संख्या-476	गाटा संख्या-479	गाटा संख्या-477

विक्रय मूल्य का भुगतान

विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण, कुल विक्रय मूल्य ₹0-7,80,000.00 (सात लाख अरसी हजार रुपये मात्र)

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता का नाम	पता	बैंक का नाम	बैंक संख्या	बैंक का दिनांक	भुगतान राशि
1	श्री देवेन्द्र सिंह	श्री प्रताप सिंह पटेल	डोहरा, सनराईज बरेली।	पंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्र नगर बरेली।	514419	24.07.2023	₹0-2,60,000/-
2	श्री अरविन्द सिंह पटेल				514420	24.07.2023	₹0-2,60,000/-
3	श्रीमती प्रगति पटेल	श्री महेश कुमार			514421	24.07.2023	₹0-1,30,000/-
4	श्रीमती गरिमा पटेल	श्री मुनीश कुमार			514422	24.07.2023	₹0-1,30,000/-

अरविन्द सिंह पटेल

Pragati

Garima



आवेदन सं०: 202300787027718

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 10999

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्री देवेन्द्र सिंह, पुत्र श्री प्रताप सिंह पटेल

निवासी: डोहरा सनराइज बरेली

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 2



श्री अरविन्द सिंह पटेल, पुत्र श्री प्रताप सिंह पटेल

निवासी: डोहरा सनराइज बरेली

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 3




श्री अरविन्द सिंह पटेल, पत्नी श्री महेश कुमार

निवासी: डोहरा सनराइज बरेली

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 4



श्री अरविन्द सिंह पटेल, पुत्र श्री मुनीश कुमार

निवासी: डोहरा सनराइज बरेली

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 1

श्री बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा सत्यप्रकाश
कुशवाहा, पुत्र श्री आर बी एल कुशवाहा

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली

व्यवसाय: नौकरी



A Q B



BDA

-: बैनामा :-

-: बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विक्रय विलेख :-

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	-	₹0-1,70,00,000.00 (प्रति हे०)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)	-	₹0-6,80,00,000.00 (प्रति हे०)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	-	₹0-3,18,65,215.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	-	₹0-3,18,65,215.00
ई-स्टाम्प का विवरण	-	₹0-22,30,620.00 ✓
		(IN-4P90164677050712V)
निबन्धन शुल्क	-	₹0-3,18,660.00

विक्रय-विलेख

भूमि का प्रकार	-	कृषि
ग्राम/मोहल्ला	-	अहरोला
परगना व तहसील	-	बरेली।
जनपद	-	बरेली।



जो मन्का उषी को राका वरु

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण								
क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षेत्र (हे० में)	कुल क्षेत्र में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्षेत्र (हे० में)	भू राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री ओमकार उर्फ पोशाकी	श्री कालीचरन	86 87 89क	0.9740	0.1083	अंश पूर्ण भाग	0.1083	
			12	0.3730	0.3730	पूर्ण भाग	0.3730	

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.3470 हे० में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.4813 हे० विक्रेता का अंश पूर्ण है।

सड़क की स्थिति - कोई नहीं।

परिसम्पत्ति - कोई नहीं।

विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी:-

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	86	गाटा संख्या-85	गाटा संख्या-87 व 88	गाटा संख्या-27 चस्ता	गाटा संख्या-98
2.	87	गाटा संख्या-86	गाटा संख्या-89	गाटा संख्या-27 चस्ता	गाटा संख्या-88
3.	89क	गाटा संख्या-87 व 88	गाटा संख्या-90 चकमार्ग	गाटा संख्या-27 चस्ता	गाटा संख्या-97 चकमार्ग
4.	12	नहर	गाटा संख्या-11	चकमार्ग	गाटा संख्या-136

विक्रय मूल्य का भुगतान :-

निर्धारित कृषि दर के चार गुणे से विक्रीत भूमि ————— की धनराशि ₹0-3,27,28,400.00 (तीन करोड़ सत्ताईस लाख अट्ठाईस हजार चार सौ रुपये मात्र) है। विक्रय की जाने वाली भूमि मौके पर समतल नहीं है। भूमि के समतलीकरण पर धनराशि ₹0-8,63,185.00 (आठ लाख तिरसठ हजार एक सौ पिच्चासी रुपये मात्र) का व्यय होगा। इसलिए भूमि के समतलीकरण पर आने वाले व्यय की कटौती विक्रेता ————— की धनराशि से की गयी है। कुल विक्रय मूल्य ₹0-3,18,65,215.00 (तीन करोड़ अट्ठारह लाख पैंसठ हजार दो सौ पन्द्रह रुपये मात्र) में से 1% टीडीएस की कटौती उपरान्त विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण :-

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	पिता का नाम	पता	बैंक का नाम	बैंक संख्या	बैंक का दिनांक	भुगतान राशि
1	श्री ओमकार उर्फ पोशाकी	श्री कालीचरन	जोहरिया, बरेली	पंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्र नगर बरेली।	514490	17-08-20	₹0-3,15,48,563/-



ओमकार उर्फ पोशाकी

क्र0स0-121

(गाटा संख्या-12 ग्राम अहरोला)

आवेदन सं०: 202300787035712

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 12407

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री ओमकार उर्फ पौशाकी लाल, पुत्र श्री कालीचरन

निवासी: डोहरिया बरेली

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1



श्री बरेली विकास प्राधिकरण बरेली के द्वारा सत्यप्रकाश कुशवाहा, पुत्र श्री आर बी एल कुशवाहा

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली

व्यवसाय: नौकरी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री अजयेश शर्मा, पुत्र श्री सुखलाल

निवासी: अहरोला बरेली

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्री सोमकरन लाल, पुत्र श्री सोमकरन

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली

व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

रवि प्रकाश शर्मा
उप निबंधक: सदर प्रथम
बरेली
22/08/2023

वीरेंद्र प्रताप सिंह
निबंधक लिपिक बरेली
22/08/2023

ने क्रीन प्रत्यक्षत: मद्र साक्षियों के निशान अंगूठे निष्पानुसार लिए गए है।
टिप्पणी:

प्रिंट करें

ANNEXURE - B

-- प्रेक्टर बरेली आवासीय योजना सेक्टर-2ए में क्रय हेतु अवशेष भूमि का विवरण --

क्रम संख्या	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल क्षेत्रफल (हे० मी)	बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पक्ष में क्रय किया क्षेत्रफल (हे० मी)	क्रय हेतु अवशेष क्षेत्रफल (हे० मी)	बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पक्ष में क्रय हेतु अवशेष का कारण
1	2	3	4	5	6
1	11	0.7960	0.2653	0.5307	विक्रेता द्वारा उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु लिखित सहमति बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली को प्राप्त हो चुकी है। विक्रेता अनुपजाति का है। 2008 राजस्व संहिता-2006 की धारा 98 के अनुसार अनुपजाति को व्यक्ति को भूमि विक्रय से पूर्व जिलाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक है। भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में पत्रावली जिलाधिकारी, बरेली के यहां विचारणीय है। जिलाधिकारी, बरेली से विक्रय की अनुमति प्राप्त होते ही विक्रेता से बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पक्ष में बैनामा निष्पादित करा लिया जायेगा।
2	16	0.4310	0.2530	0.1780	प्रश्नगत भूमि के स्थानित के सम्बन्ध में न्यायालय अपर आयुक्त न्यायिक, बरेली मण्डल, बरेली के यहां मुकदमा नं०-RSTC202312000000589 सर्वपल बैनाम सुरीला देवी विचारणीय है। प्रश्नगत भूमि को अधिग्रहण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।
3	17	0.2910	0.0000	0.2910	विक्रेता की सहमति प्राप्त नहीं हुई है। सहमति हेतु प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही सहमति प्राप्त कर बैनामा निष्पादित करा लिया जायेगा।
4	105	0.0580	0.0000	0.0580	विक्रेता की सहमति प्राप्त हो गई है। पत्रावली तैयार कर बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पक्ष में शीघ्र ही बैनामा निष्पादित करा लिया जायेगा।
5	106	0.2970	0.0000	0.2970	विक्रेता द्वारा उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु लिखित सहमति बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली को प्राप्त हो चुकी है। विक्रेता अनुपजाति का है। 2008 राजस्व संहिता-2006 की धारा 98 के अनुसार अनुपजाति को व्यक्ति को भूमि विक्रय से पूर्व जिलाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक है। भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में पत्रावली जिलाधिकारी, बरेली के यहां विचारणीय है। जिलाधिकारी, बरेली से विक्रय की अनुमति प्राप्त होते ही विक्रेता से बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पक्ष में बैनामा निष्पादित करा लिया जायेगा।
6	132	0.1110	0.0000	0.1110	विक्रेता द्वारा उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु लिखित सहमति बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली को प्राप्त हो चुकी है। विक्रेता अनुपजाति का है। 2008 राजस्व संहिता-2006 की धारा 98 के अनुसार अनुपजाति को व्यक्ति को भूमि विक्रय से पूर्व जिलाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक है। भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में पत्रावली जिलाधिकारी, बरेली के यहां विचारणीय है। जिलाधिकारी, बरेली से विक्रय की अनुमति प्राप्त होते ही विक्रेता से बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पक्ष में बैनामा निष्पादित करा लिया जायेगा।

7	133	0.1110	0.0000	0.1110	0.1110	<p>विक्रेता द्वारा उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु लिखित सहमति बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली को प्राप्त हो चुकी है। विक्रेता अनुज्ञाति का है। ३०२० राजस्व संहिता-2006 की धारा 98 के अनुसार अनुज्ञाति के व्यक्ति को भूमि विक्रय से पूर्व जिलाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक है। भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में पत्रावली जिलाधिकारी, बरेली के यहां विचारणीय है। जिलाधिकारी, बरेली से विक्रय की अनुमति प्राप्त होते ही विक्रेता से बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पक्ष में बैनामा निष्पादित करा लिया जायेगा।</p>
8	134	0.1120	0.0000	0.1120	0.1120	<p>विक्रेता द्वारा उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु लिखित सहमति बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली को प्राप्त हो चुकी है। विक्रेता अनुज्ञाति का है। ३०२० राजस्व संहिता-2006 की धारा 98 के अनुसार अनुज्ञाति के व्यक्ति को भूमि विक्रय से पूर्व जिलाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक है। भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में पत्रावली जिलाधिकारी, बरेली के यहां विचारणीय है। जिलाधिकारी, बरेली से विक्रय की अनुमति प्राप्त होते ही विक्रेता से बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पक्ष में बैनामा निष्पादित करा लिया जायेगा।</p>
9	136 मि०	0.4620	0.0000	0.4620	0.4620	<p>३०२० जमींदारी विनास एवं नू-व्यवस्था अधिनियम की धारा 143/३०२० राजस्व संहिता-2006 की धारा 80 के अंतर्गत भूमि को अकृषक घोषित करायें विना ही विक्रेता द्वारा प्लॉट के रूप में भूमि विक्रय कर लगभग 80 बैनामों निष्पादित करने गये हैं, जिसमें कतिपय प्लॉट धारक अनुज्ञाति के व्यक्ति हैं। प्रसंगत भूमि को अधिग्रहण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।</p>
10	107	0.7240	0.0000	0.7240	0.7240	<p>विक्रेता द्वारा उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु लिखित सहमति बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली को प्राप्त हो चुकी है। विक्रेता अनुज्ञाति का है। ३०२० राजस्व संहिता-2006 की धारा 98 के अनुसार अनुज्ञाति के व्यक्ति को भूमि विक्रय से पूर्व जिलाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक है। भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में पत्रावली जिलाधिकारी, बरेली के यहां विचारणीय है। जिलाधिकारी, बरेली से विक्रय की अनुमति प्राप्त होते ही विक्रेता से बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पक्ष में बैनामा निष्पादित करा लिया जायेगा।</p>
11	110	0.3430	0.0000	0.3430	0.3430	<p>विक्रेता की सहमति प्राप्त हो चुकी है। कर सम्बन्धी प्रक्रियाओं के कारण विक्रेता द्वारा बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पक्ष में नवम्बर माह में बैनामा निष्पादित कर लिया जायेगा।</p>
12	120	0.5570	0.0000	0.5570	0.5570	<p>विक्रेता द्वारा उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु लिखित सहमति बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली को प्राप्त हो चुकी है। विक्रेता अनुज्ञाति का है। ३०२० राजस्व संहिता-2006 की धारा 98 के अनुसार अनुज्ञाति के व्यक्ति को भूमि विक्रय से पूर्व जिलाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक है। भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में पत्रावली जिलाधिकारी, बरेली के यहां विचारणीय है। जिलाधिकारी, बरेली से विक्रय की अनुमति प्राप्त होते ही विक्रेता से बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पक्ष में बैनामा निष्पादित करा लिया जायेगा।</p>

(2/6) शासनादेश संख्या-2/2015/215/1-13-2015-20 (48/2011) राज
(गाटा संख्या-11 ग्राम अहरोला) 37/2015
19.03.2015 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत भू-स्वामी/भू-स्वामियों और बं
लोक प्रयोजन के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित दि



लखनऊ दिनांक
ग. बरेली के बीच
ता प्रमाण-पत्र

प्रारूप-1

यह समझौता पत्र आज दिनांक 22.01.2022 वर्ष को निम्न
भू-स्वामी/भू-स्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे उल्लिखित किया गया है और
निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

1. अमला रानी पत्नी श्री राजलक्ष्मी अंश 2/3 हिस्सा
2. _____ पुत्र श्री _____ अंश _____
3. _____ पुत्र श्री _____ अंश _____
4. _____ पुत्र श्री _____ अंश _____
5. _____ पुत्र श्री _____ अंश _____

प्रथम पत्र (जिसे एतद्वारा "भू-स्वामी" कहा गया है) और,

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल/राज्य सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली,

(द्वितीय पक्ष) (जिसे एतद्वारा "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित/निष्पादित
किया गया है:-

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण
अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भू-स्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध मूल्य पर कोई बात या भूवद्ध
किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी।

अतएव अब भू-स्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

Mamber Raw

(गाटा संख्या-11 ग्राम अहरोला)

1. यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर कार्यवाही अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
2. यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
3. यह कि यदि कुल भूमि में मूल्य में भुगतान के पश्चात यह प्रकट होता है कि भू-स्वामी इस समझौता पत्र में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यान्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से अन्य किसी व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भू-स्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाये, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और अन्य किसी व्यक्ति को/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ति करेगा और उठायी गयी किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या क्रय की गयी धनराशि पर विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की धनराशि पर प्रथम वर्ष 9 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिये 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
4. यदि भू-स्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का/देंने का पूरा अधिकार होगा।
5. यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भू-स्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उसे कुल भूमि की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को कर दिया जायेगा।
6. क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित होता है, को क्रय निकाय द्वारा व्यय वहन किया जायेगा।
7. विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जाता है।
8. क्रय निकाय के द्वारा निम्नालिखित आधारों पर इस समझौता-पत्र पर भू-स्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

(1) यदि भू-स्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है,

(गाटा संख्या-11 ग्राम अहरोला)

①

(2) यदि भू-स्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है,

(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी नहीं है।

अनुसूची

ग्राम अहरोला परगना बरेली तहसील बरेली
जिला बरेली

खाता संख्या	खसरा नं०	क्षे० (हे० में)	भूमि का विवरण, यदि वह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चार सीमाओं और लगी हुई भू-स्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिये निर्धारित दर (₹० में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (₹० में)
1	2	7960	4 B	5	6	7
02	11	05306	प्लॉट नं० 11/20/135/36 उत्तर- छवि ग्राम नाम के लिये दक्षिण- साधारण वाटिका नं० 135/36			3183600/2

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग 7, 8 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (₹० में)		
8	9	10	श्री प्रवीणमृतारानी पत्नी राधाकाया 137 वाँ उत्तरिय गेटा का बरेली 9412417597

भू-स्वामी/भू-स्वामियों के हस्ताक्षर

1. Manda Ram

2.

3.

गवाह/अभिसाक्षी

1. Bhan Nath Singh
2. Bhan Nath Singh
137 B UTSAR Mahanagar
Bily
9412417597

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

सहायक निदेशक
बरेली विकास प्राधिकरण

पूरा नाम

बरेली

पदनाम गवाह/अभिसाक्षी

1. शुभ
2. उत्तर

शासनादेश संख्या-385/8-3-16-3
21.03.2016 में विहित प्राक्धानों के अंतर्गत
लोक प्रयोजन के लिये समझौते द्वारा भू



प्रारूप-1

एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 दिनांक
10 और बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के बीच
निष्पादित किये जाने वाला समझौता प्रमाण-पत्र

यह समझौता पत्र आज दिनांक _____ वर्ष 2023 को निम्न
भू-स्वामी/भू-स्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे उल्लिखित किया गया है और
निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

1. श्रीमती सुशीला देवी पुत्र श्री नरेश पाव सिंह अंश 0-1770
2. _____ पुत्र श्री _____ अंश _____
3. _____ पुत्र श्री _____ अंश _____
4. _____ पुत्र श्री _____ अंश _____
5. _____ पुत्र श्री _____ अंश _____

प्रथम पत्र (जिसे एतदपश्चात "भू-स्वामी" कहा गया है) और,

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल/राज्य सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली,

(द्वितीय पक्ष) (जिसे एतदपश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित/निष्पादित
किया गया है:-

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिराका विवरण
अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भू-स्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित मूबद्ध मूल्य पर कोई बात या मूबद्ध
किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी।

अतएव अब भू-स्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-



सुशीला देवी

1. यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
2. यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
3. यह कि यदि कुल भूमि में मूल्य में भुगतान के पश्चात यह प्रकट होता है कि भू-स्वामी इस समझौता पत्र में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यान्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से अन्य किसी व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भू-स्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जायें, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और अन्य किसी व्यक्ति को/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ति करेगा और उठायी गयी किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रकार या क्रय की गयी धनराशि पर विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रकार या व्यय की धनराशि पर प्रथम वर्ष 9 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिये 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
4. यदि भू-स्वामी पूर्ववर्ती पैस में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का/देने का पूरा अधिकार होगा।
5. यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भू-स्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उसे कुल भूमि की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को कर दिया जायेगा।
6. क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित होता है, को क्रय निकाय द्वारा व्यय वहन किया जायेगा।
7. विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जाता है।
8. क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता-पत्र पर भू-स्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

(1) यदि भू-स्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है,

शुशीला देवी

- (2) यदि मू-स्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है,
(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व मू-स्वामी नहीं है।

अनुसूची

ग्राम अहरोला परगना व तहसील व
जिला वाराणसी

खाता संख्या	खसरा नं०	क्ष० (हे० में)	भूमि का विवरण, यदि वह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चार सीमाओं और लगी हुई मू-स्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिये निर्धारित दर (₹० में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (₹० में)
1	2	3	4	5	6	7
	16	०.५३१ ५.६०१७७				

नूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग 7, 8 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (₹० में)		
8	9	10	11

मू-स्वामी/मू-स्वामियों के हस्ताक्षर

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

1.  9719145848


2. 

3. सुशीला देवी

गवाह/अगिसाक्षी

पूरा नाम

पदनाम गवाह/अगिसाक्षी

1.  नरेश पाल

1.

2.  सुशीला देवी

2.

सेवा में,

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय,
बरेली विकास प्राधिकरण,
बरेली।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली द्वारा ग्राम-~~बरेलीपुर-अहमदपुर~~ ^{बरेली} की भूमि ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के विस्तार हेतु किसानों से आपसी सहमति के आधार पर खरीदे जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें मेरी कृषि भूमि खसरा सं०-~~16~~ भी शामिल है।

महोदय को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं अपनी भूमि बरेली विकास प्राधिकरण को विक्रय करने को तैयार हूँ तथा मुझे वर्तमान सर्किल रेट के चार गुना मुआवजा दिया जायें। यदि 4 गुना से कम मुआवजा दिया जाता है तो मुझे भूमि विक्रय करने में अपूर्णनीय क्षति होगी और 4 गुना से कम पर मैं अपनी भूमि विक्रय नहीं करूंगा।

प्रार्थी



सुशीला देवी

नाम- श्री मती सुशीला देवी

पिता का नाम- गणेश पाव देव

निवासी- _____

मो० न०- 97191 45848

(55) 4+10
26

(गावा संख्या-105 ग्राम अहरोला)

शासनादेश संख्या-2/2015/215/1-13-2
19.03.2015 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत भू-
लोक प्रयोजन के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय



राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक
18 बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के बीच
देत किये जाने वाला समझौता प्रमाण-पत्र

यह समझौता पत्र आज दिनांक 13-2-23 वर्ष 2023 को निम्न
भू-स्वामी/भू-स्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे उल्लिखित किया गया है और
निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

1. पुत्र श्री पुत्र श्री अंश पूर्ण
2. पुत्र श्री अंश
3. पुत्र श्री अंश
4. पुत्र श्री अंश
5. पुत्र श्री अंश

प्रथम पत्र (जिसे एतदपश्चात् "भू-स्वामी" कहा गया है) और,

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल/राज्य सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली,

(द्वितीय पक्ष) (जिसे एतदपश्चात् "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित/निष्पादित
किया गया है:-

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण
अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भू-स्वामी अग्रोतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवृद्ध मूल्य पर कोई बात या भूवृद्ध
किसी चीज से स्थायी रूप से संबद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी।

अतएव अब भू-स्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

पुत्र श्री

(गाटा.संख्या-105 ग्राम अहरोला)

1. यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
2. यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगें, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
3. यह कि यदि कुल भूमि में मूल्य में भुगतान के पश्चात यह प्रकट होता है कि भू-स्वामी इस समझौता पत्र में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से अन्य किसी व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भू-स्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अन्वयित की जाये, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और अन्य किसी व्यक्ति को/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ति करेगा और उठायी गयी किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या क्रय की गयी धनराशि पर विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की धनराशि पर प्रथम वर्ष 9 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिये 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
4. यदि भू-स्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का/देने का पूरा अधिकार होगा।
5. यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भू-स्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उसे कुल भूमि की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को कर दिया जायेगा।
6. क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित होता है, को क्रय निकाय द्वारा व्यय वहन किया जायेगा।
7. विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जाता है।
8. क्रय निकाय के द्वारा निम्नालिखित आधारों पर इस समझौता-पत्र पर भू-स्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

(1) यदि भू-स्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है.

गाटा 12.2

(गाटा संख्या-105 ग्राम अहरोला)

(2) यदि भू-स्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है,

(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी नहीं है।

अनुसूची

ग्राम अहरोला परगना अ तहसील अ
 जिला बरेली

खाता संख्या	खसरा नं०	क्ष० (हे० में)	भूमि का विवरण, यदि वह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चार सीमाओं और लगी हुई भू-स्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिये निर्धारित दर (रु० में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
62	105	0.0580	30-खसरा नं० 6 सम्मिलित 70 खसरा नं० 104 का भाग 20 खसरा नं० 107 का भाग 50 खसरा नं० 100 का भाग			

ये

भूवद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (बोग 7, 8 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम और पता जि-को देय है और उनका परिमाण
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)		
8	9	10	
-	-	3944000-0	पुलाप सिंह पुत्र नरसिंह 50 मोहरी (उपरोक्त)

भू-स्वामी/भू-स्वामियों के हस्ताक्षर

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

1. पुलाप सिंह 7895681529

अभियन्ता
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली

2.
3.

पूरा नाम
पदनाम गवाह/अभिसाक्षी

गवाह/अभिसाक्षी
1. सावाधर
2. यन्तुपाल
3. शोच कुमाल
4. यन्तुपाल

1. AM
2.

सेवा में,

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय,
बरेली विकास प्राधिकरण,
बरेली।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली द्वारा ग्राम ~~अहरोला~~ की भूमि रामगंगा नगर आवासीय योजना के विस्तार हेतु किसानों से आपसी सहमति के आधार पर खरीदे जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें मेरी कृषि भूमि खसरा संख्या- 105 भी शामिल है।

महोदय को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं अपनी भूमि बरेली विकास प्राधिकरण को विक्रय करने को तैयार हूँ तथा मुझे वर्तमान सर्किल रेट के चार गुना मुआवजा दिया जाये। यदि 4 गुना से कम मुआवजा दिया जाता है तो मुझे भूमि विक्रय करने में अपूर्णनीय क्षति होगी और 4 गुना से कम पर मैं अपनी भूमि विक्रय नहीं करूंगा।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ही मेरी भूमि 4 गुना दर से खरीदी जाये।

प्रताप सिंह
प्रार्थी

नाम प्रताप सिंह

पिता का नाम रामधर सिंह

निवासी महापुर उपखण्ड

मो० नं० 7895881529

30
37/22 (गाटा संख्या-107 ग्राम अहरोला)

संख्या-2/2015/215/1-13-2015-20 (48/2011) राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक
विहित प्रावधानों के अंतर्गत भू-स्वामी/भू-स्वामियों और बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के बीच
के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता प्रमाण-पत्र

प्रारूप-1

समझौता पत्र आज दिनांक 03-11- वर्ष 2022 को निम्न
भू-स्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे उल्लिखित किया गया है और
निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

1. श्रीमती सुनीता केशव पुत्र श्री शशीकांत केशव अंश 2/3 पानी 0.4826
2. _____ पुत्र श्री _____ अंश _____
3. _____ पुत्र श्री _____ अंश _____
4. _____ पुत्र श्री _____ अंश _____
5. _____ पुत्र श्री _____ अंश _____

प्रथम पत्र (जिसे एतद्रपश्चात् "भू-स्वामी" कहा गया है) और

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल/राज्य सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली,

(द्वितीय पक्ष) (जिसे एतद्रपश्चात् "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित/निष्पादित
किया गया है-

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण
अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भू-स्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध मूल्य पर कोई बात या भूवद्ध
किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी।

अतएव अब भू-स्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है-

1. यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
2. यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगें, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
3. यह कि यदि कुल भूमि में मूल्य में भुगतान के पश्चात यह प्रकट होता है कि भू-स्वामी इस समझौता पत्र में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से अन्य किसी व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भू-स्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जायें, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और अन्य किसी व्यक्ति को/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति करेगा और उठायी गयी किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या क्रय की गयी धनराशि पर विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की धनराशि पर प्रथम वर्ष 9 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिये 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
4. यदि भू-स्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का/देंने का पूरा अधिकार होगा।
5. यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भू-स्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उसे कुल भूमि की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को कर दिया जायेगा।
6. क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित होता है, को क्रय निकाय द्वारा व्यय वहन किया जायेगा।
7. विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जाता है।
8. क्रय निकाय के द्वारा निम्नालिखित आधारों पर इस समझौता-पत्र पर भू-स्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

(1) यदि भू-स्वामी ने समझौता पत्र को कृपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(गाटा संख्या-107 ग्राम अहरोला)

- (2) यदि भू-स्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है,
 (3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी नहीं है।

अनुसूची

ग्राम अहरोला परगना बरेली तहसील बरेली
 जिला बरेली

खाता संख्या	खसरा नं०	क्ष० (हे० में)	भूमि का विवरण, यदि वह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चार सीमाओं और लगी हुई भू-स्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिये निर्धारित दर (₹० में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (₹० में)
1	2	3	4	5	6	7
115	107	0.7240	पूर्व - खेत चैकण्डा	₹ 1,20,00,000/-	-	-
		0.4826	पश्चिम - खेत फेता	₹ 1,20,00,000/-		
			उत्तर - खेत सुखला			
			दक्षिण - चकरोड वाड़ा			
			खेत नन्धु लान			

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग 7, 8 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (₹० में)		
8	9	10	
-	-	3,28,21,333/-	श्री मन्दी सुनील मण्डल पता राधा मूल मण्डल 170 165 पान वाड़ा बरेली
		14	

भू-स्वामी/भू-स्वामियों के हस्ताक्षर

- 1.
- 2.
- 3.

क्र. 209412536283
8630467058

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली

पूरा नाम
पदनाम गवाह/अभिसाक्षी

गवाह/अभिसाक्षी

1.
8630467058
- 2.

- 1.
- 2.

श संख्या-2/2015/215/1-13-2015-20 (48/2015)
15 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत भू-स्वामी/भू-स्वामियों
जन के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्प



-13, लखनऊ दिनांक
धिकरण, बरेली के बीच
समझौता प्रमाण-पत्र

प्रारूप-1

समझौता पत्र आज दिनांक _____ वर्ष 23 को निम्न
भू-स्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे उल्लिखित किया गया है और
निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है अर्थात्

1. तिलक सिंह पुत्र श्री हेमराज अंश प्लॉट नंबर 106
2412 अहरोला एच 107
7240
2. _____ पुत्र श्री _____ अंश _____
3. _____ पुत्र श्री _____ अंश _____
4. _____ पुत्र श्री _____ अंश _____
5. _____ पुत्र श्री _____ अंश _____

प्रथम पत्र (जिसे एतद्वारा 'भू-स्वामी' कहा गया है) उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल/राज्य सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली, (द्वितीय पक्ष) (जिसे एतद्वारा 'क्रय निकाय' कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित/निष्पादित किया गया है:-
चूंकि उल्लिखित पक्षों के बीच हुए भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।
और चूंकि भू-स्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूबद्ध मूल्य पर कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से रथायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी।
अतएव अब भू-स्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है-

16

1. यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवादा अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
2. यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल छाड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
3. यह कि यदि कुल भूमि में मूल्य में भुगतान के पश्चात यह प्रकट होता है कि भू-स्वामी इस समझौता पत्र में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्वय्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से अन्य किसी व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भू-स्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाये, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और अन्य किसी व्यक्ति को/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संपुक्त और पृथक्कत) क्षतिपूर्ति करेगा और उठायी गयी किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रकार या व्यय की गयी धनराशि पर विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रकार या व्यय की धनराशि पर प्रथम वर्ष 9 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिये 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
4. यदि भू-स्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रकृत किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का/देने का पूरा अधिकार होगा।
5. यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भू-स्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उसे कुल भूमि की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी का कर दिया जायेगा।
6. क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित होता है, को क्रय निकाय द्वारा व्यय वहन किया जायेगा।
7. विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जाता है।
8. क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता-पत्र पर भू-स्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

(1) यदि भू-स्वामी ने समझौता पत्र को कार्यवाही प्रकृत अर्थ में समझौता पत्र माना है,

गा.सं. क्र. 106 व 107 ग्राम अहरोला)

- (2) यदि भू-स्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है,
 (3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी नहीं है।

अनुसूची

ग्राम ~~अहरोला~~ परगना ~~अहरोला~~ तहसील अहरोली
 जिला अहरोली

खाता संख्या	खसरा नं०	क्ष० (हे० में)	भूमि का विवरण, यदि वह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (भार सौमदाओं और लगी हुई भू-स्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करता हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिये निर्धारित दर (₹० में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (₹० में)
1	2	3	4	5	6	7
	106	0.2970	पूर्व	सीक्रेट 170	-	-
	107	0.0603	"	सीक्रेट 170		
	107	0.1206	0.24 12 हे०	वा.स.प.स.		
	107	0.0603	"	वा.स.प.स.		

0.5382

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग 7, 8)	व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (₹० में)		
8	9		11
-	-	20196.000-	सिक्रेट 5/6 अहरोला
-	-	16401600	नि.स.प.स. अहरोला
		<u>36597600/-</u>	

भू-स्वामी/भू-स्वामियों के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

गवाह/अभिसाक्षी

7055500288

अधिकृत की ओर से अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

7500660044, 9412280171

अभियन्ता
अहरोली तहसील प्राधिकरण
अहरोली

गवाह/अभिसाक्षी

(गाटा संख्या-132 व 133 ग्रास अहसैला)

श
11
ल

-2/2015/215/1-13-2015-20 (48/2011) राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक
त प्रावधानों के अंतर्गत भू-स्वामी/भू-स्वामियों और बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के बीच
गये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता प्रमाण-पत्र



प्रावृप-1

पत्र आज दिनांक..... वर्ष को निम्न
(-स्वामी/भू-स्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे उल्लिखित किया गया है और
नेमलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

1. शिरना रत्नाकर पुत्री श्री मुकेश कुमार अंश सप्तपुत्री
2. पुत्र श्री अंश
3. पुत्र श्री अंश
4. पुत्र श्री अंश
5. पुत्र श्री अंश

प्रथम पत्र (जिसे एतदप्रश्चात "भू-स्वामी" कहा गया है) और,
उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल/राज्य सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली,
(द्वितीय पक्ष) (जिसे एतदप्रश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित/निष्पादित
किया गया है:-

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण
अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भू-स्वामी अग्रेतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूबद्ध मूल्य पर कोई बात या भूबद्ध
किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी।

अतएव अब भू-स्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

1. यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
2. यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगें, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
3. यह कि यदि कुल भूमि में मूल्य में भुगतान के पश्चात यह प्रकट होता है कि भू-स्वामी इस समझौता पत्र में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्व रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से अन्य किसी व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भू-स्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जायें, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और अन्य किसी व्यक्ति को/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संबुद्ध और पृथक्कत) क्षतिपूर्ति करेगा और उठायी गयी किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या क्रय की गयी धनराशि पर विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की धनराशि पर प्रथम वर्ष 9 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिये 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
4. यदि भू-स्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का/देने का पूरा अधिकार होगा।
5. यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भू-स्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उसे कुल भूमि की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को कर दिया जायेगा।
6. क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित होता है, को क्रय निकाय द्वारा व्यय वहन किया जायेगा।
7. विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जाता है।
8. क्रय निकाय के द्वारा निम्नालिखित आधारों पर इस समझौता-पत्र पर भू-स्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

(1) यदि भू-स्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है,

(गाटा संख्या-132 व 133 ग्राम अहरोला)

- (2) यदि भू-स्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है,
 (3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी नहीं है।

अनुसूची

ग्राम अहरोला परगना बरेली तहसील बरेली
 जिला बरेली

खाता संख्या	खसरा नं०	क्ष० (हे० में)	भूमि का विवरण, यदि वह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चार सीमाओं और लगी हुई भू-स्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिये निर्धारित दर (₹० में)/प्रति हे०	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (₹० में)
1	2	3	4	5	6	7
00113	132	0.1110	सम्पूर्ण	170,00,000/- प्रति हे०	-	75,48,000/-
00114	133	0.1110	सम्पूर्ण	405/1 170,00,000/- 405/1		75,48,000

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग 7, 8 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (₹० में)		
8	9	10	11
-	-	₹ 1,50,96,000/- (सर्वेक्षण संख्या 132 व 133) विभाग सं. 40/43	

भू-स्वामी/भू-स्वामियों के हस्ताक्षर

1. Smita

2.

3.

गवाह/अभिसाक्षी

1.

2.

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम

[Signature]
बरेली विभाग, अधिकरण
बरेली

पदनाम गवाह/अभिसाक्षी

1. [Signature]
(अधिकरण)

2.

संख्या-2/2015/215/1-13-2015-20 (48/2011) राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक में विहित प्रावधानों के अंतर्गत भू-स्वामी/भू-स्वामियों और बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के बीच न के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता प्रमाण-पत्र



प्रारूप-1

समझौता पत्र आज दिनांक 28-2-23 वर्ष 2023 को निम्न भू-स्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे उल्लिखित किया गया है और उल्लिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्



लाचूर राय पुत्र श्री लक्ष्मण अंश 1/3

मुनीश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण अंश 1/3

चन्द्रकेश पुत्र श्री लक्ष्मण अंश 1/3



पुत्र श्री अंश

5. पुत्र श्री अंश

प्रथम पत्र (जिसे एतद्वारा "भू-स्वामी" कहा गया है) और, उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल/राज्य सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली, (द्वितीय पक्ष) (जिसे एतद्वारा "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित/निष्पादित किया गया है-
चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।
और चूंकि भू-स्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित मूबद्ध मूल्य पर कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी।
अतएव अब भू-स्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

लाचूर राय मुनीश कुमार चन्द्रकेश
23

(गाटा संख्या-134 ग्राम अहरोला)

1. यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
2. यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगें, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
3. यह कि यदि कुल भूमि में मूल्य में भुगतान के पश्चात यह प्रकट होता है कि भू-स्वामी इस समझौता पत्र में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्वयन रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से अन्य किसी व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भू-स्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाये, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और अन्य किसी व्यक्ति को/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ति करेगा और उठायी गयी किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की धनराशि पर प्रथम वर्ष 9 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिये 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
4. यदि भू-स्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का/देने का पूरा अधिकार होगा।
5. यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भू-स्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उसे कुल भूमि की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को कर दिया जायेगा।
6. क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित होता है, को क्रय निकाय द्वारा व्यय वहन किया जायेगा।
7. विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जाता है।
8. क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आघाशों पर इस समझौता-पत्र पर भू-स्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
(1) यदि भू-स्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है,

बालू राम मुनी 24/11/18 - च-उके 2

(गाटा संख्या-134 ग्राम अहरोला)

(2) यदि भू-स्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है,

(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में बर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी नहीं है।

अनुसूची

ग्राम अहरोला परगना व तहसील बरेली
 जिला बरेली

खाता संख्या	खसरा नं०	क्ष० (हे० में)	भूमि का विवरण, यदि वह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चार सीमाओं और लगी हुई भू-स्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिये निर्धारित दर (₹० में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (₹० में)
1	2	3	4	5	6	7
69	134	112	खेत - खेत नं० 133 जिश्मिले नं० 135 खेत - खेत नं० 134 खेत - खेत नं० 137	अनुसूची-1 ₹ 7616000/-	-	5 पत्तक

भूवद्द अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग 7, 8 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम और पता जिनके देय है और उनका परिमाण
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (₹० में)		
8	9	10	
-	-	7616000/-	श. प्रसाद - मुनीश कुमार चंडिका मुजालम प्रसाद 1037 इ.प.

भू-स्वामी/भू-स्वामियों के हस्ताक्षर

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

1. बालू शर्मा 9759533087
2. मुनीश कुमार 9457091157
3. चंडिका 9758251093

सहायक अभियन्ता
 बरेली विकास प्राधिकरण
 बरेली

गवाह/अभिसाक्षी

पदनाम गवाह/अभिसाक्षी

1. राम-चरण शर्मा शरणापन
2. पं. जगदीश शर्मा मुजालम चाल



(गाटा संख्या-110 ग्राम अहरोला)

(100)



'2015/215/1-13-2015-20 (48/2011) राजस्व अनुभाग-13, ल
रावधानों के अंतर्गत भू-स्वामी/भू-स्वामियों और बरेली विकास प्राधिकरण
समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौ

प्रारूप-1

यह समझौता पत्र आज दिनांक..... वर्ष..... को निम्न
भू-स्वामी/भू-स्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे उल्लिखित किया गया है और
निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

1. श.रा.सिंह कुमाँर मोदी पुत्र श्री बलवारी लाल मोदी अंश समपूर्णा भाग

2. X पुत्र श्री..... अंश.....

3. X पुत्र श्री..... अंश.....

4. X पुत्र श्री..... अंश.....

5. X पुत्र श्री..... अंश.....

प्रथम पत्र (जिसे एतद्रपश्चात "भू-स्वामी" कहा गया है) और,

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल/राज्य सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली,

(द्वितीय पक्ष) (जिसे एतद्रपश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित/निष्पादित
किया गया है:-

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण
अनुसूची में दिया गया है।


और चूंकि भू-स्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध मूल्य पर कोई बात या भूवद्ध
किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी।

अतएव अब भू-स्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

NIC

(गाटा संख्या-110 ग्राम अहरोला)

1. यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
2. यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगें, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
3. यह कि यदि कुल भूमि में मूल्य में भुगतान के पश्चात यह प्रकट होता है कि भू-स्वामी इस समझौता पत्र में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से अन्य किसी व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भू-स्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जायें, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और अन्य किसी व्यक्ति को/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ति करेगा और उठायी गयी किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या क्रय की गयी धनराशि पर विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की धनराशि पर प्रथम वर्ष 9 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिये 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
4. यदि भू-स्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का/देने का पूरा अधिकार होगा।
5. यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भू-स्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उसे कुल भूमि की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को कर दिया जायेगा।
6. क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित होता है, को क्रय निकाय द्वारा व्यय वहन किया जायेगा।
7. विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जाता है।
8. क्रय निकाय के द्वारा निम्नालिखित आधारों पर इस समझौता-पत्र पर भू-स्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
(1) यदि भू-स्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है,



(गाटा संख्या-110 ग्राम अहरोला)

(2) यदि भू-स्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है,

(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी नहीं है। दुर्जाति है की यह
अथवा 14 नवम्बर 2023 के पश्चात किया जाएगा

अनुसूची

ग्राम अहरोला परगना ... तहसील बरेली
जिला बरेली

खाता संख्या	खसरा नं०	क्ष० (हे० में)	भूमि का विवरण, यदि वह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चार सीमाओं और लगी हुई भू-स्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिये निर्धारित दर (₹० में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (₹० में)
1	2	3	4	5	6	7
46	110	0343	50-सकमा 108 50-नए 126 50-नए 126 50-नए 111	रकबा जो कुल 170 हेक्टर कम है 127 233,25,000-	गेहूँ मुँगेली 21 फेड 6 वर्ग 2 फेड 6 वर्ग	13 फेड 6 वर्ग
					2 फेड 6 वर्ग	

भूवद्द अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग 7, 8 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण
विवरण	मूल्यांकन के अनुरार देय राशि (₹० में)		
8	9	10	11
बोरा	23218-00	233,47,218-00	

भू-स्वामी/भू-स्वामियों के हस्ताक्षर

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

1. Mamun 9818473875

2.
3.

सहायक अभियन्ता
बरेली विद्युत प्राधिकरण
बरेली

गवाह/अभिसाक्षी

पूरा नाम
पदनाम गवाह/अभिसाक्षी

1. Dr. Manoj
CAMIT ANAND MODI

2.

1. [Signature]
2. [Signature]

सेवा में,

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय,
बरेली विकास प्राधिकरण,
बरेली।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली द्वारा ~~ग्राम अहरोला~~ ^{मंडावा} की भूमि रामगंगा नगर आवासीय योजना के विस्तार हेतु किसानों से आपसी सहमति के आधार पर खरीदे जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें मेरी कृषि भूमि खसरा संख्या-.....110..... भी शामिल है।

महोदय को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं अपनी भूमि बरेली विकास प्राधिकरण को विक्रय करने को तैयार हूँ तथा मुझे वर्तमान सर्किल रेट के चार गुना मुआवजा दिया जायें। यदि 4 गुना से कम मुआवजा दिया जाता है तो मुझे भूमि विक्रय करने में अपूर्णनीय क्षति होगी और 4 गुना से कम पर मैं अपनी भूमि विक्रय नहीं करूंगा।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ही मेरी भूमि 4 गुना दर से खरीदी जायें। ^{गुणवत्ता} ~~गुणवत्ता~~ है की यह व्यक्तियों 14 नव+42 2023 के पश्चात कराया जावे।

नाम प्राणी
राजेश कुमार मोदी
पिता का नाम बलवारी लाल मोदी
निवासी 35 की/5ए रामपुर
बारा बरेली
मो नं- 9818473875

शासनादेश संख्या-2/2015/215/1-13-2015-20 (48/2011) राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19.03.2015 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत भू-स्वामी/भू-स्वामियों और बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के बीच लोक प्रयोजन के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता प्रमाण-पत्र

प्रारूप-1



ह समझौता पत्र आज दिनांक 13/03/2023 वर्ष 2023 को निम्न नामी/भू-स्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे उल्लिखित किया गया है और उल्लिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

कृष्ण पाट पुत्र श्री नरधर गार अंश 1/2

121 नं० इलाका 10/11/19



कमल सिंह पुत्र श्री नरधर गार अंश 1/2

30 06/99/2001

121 नं० इलाका 10/11/19



कौशिक पुत्र श्री नरधर गार अंश 1/2

36/09/2001



अमर पाट सिंह पुत्र श्री नरधर गार अंश 1/2

121 नं० इलाका 10/11/19



अमर सिंह पुत्र श्री नरधर गार अंश 1/2

36/09/2001

य पत्र (जिसे एतद्वारा "भू-स्वामी" कहा गया है) और,

देश के श्री राज्यपाल/राज्य सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली,

(द्वितीय पक्ष) (जिसे एतद्वारा "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित/निष्पादित पत्र है-

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भू-स्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूबद्ध मूल्य पर कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी।

अतएव अब भू-स्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है-

कृष्ण पाट नरधर गार अमर पाट सिंह Bhard Singh

गाटा संख्या-120 ग्राम अहरोला

1. यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
2. यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
3. यह कि यदि कुल भूमि में मूल्य में भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भू-स्वामी इस समझौता पत्र में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्वय रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से अन्य किसी व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भू-स्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जायें, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और अन्य किसी व्यक्ति को/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ति करेगा और उठायी गयी किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या क्रय की गयी धनराशि पर विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की धनराशि पर प्रथम वर्ष 9 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्तवर्ती वर्षों के लिये 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
4. यदि भू-स्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का/देने का पूरा अधिकार होगा।
5. यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भू-स्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उसे कुल भूमि की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को कर दिया जायेगा।
6. क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित होता है, को क्रय निकाय द्वारा व्यय वहन किया जायेगा।
7. विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जाता है।
8. क्रय निकाय के द्वारा निम्नालिखित आधारों पर इस समझौता-पत्र पर भू-स्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

(1) यदि भू-स्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है,

ब्रह्मपति कारासिंह 31 June आदरपाल सिंह Bharat Singh

गाटा संख्या-120 ग्राम अहरोला

(2) यदि भू-स्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है,

(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी नहीं है।

अनुसूची

ग्राम अहरोला परगना बरेली तहसील बरेली
जिला बरेली

खाता संख्या	खसरा नं०	क्षेत्र (हे० में)	भूमि का विवरण, यदि वह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चार सीमाओं और लगी हुई भू-स्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिये निर्धारित दर (रु० में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
029	120	0.557		19500000 ₹ 1116.71		

भूवद्द अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग 7, 8 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)		
8	9	10	11
बरेली	₹ 218-00		शुभम पवन कुमार सिंह, फा. नं. 100 मनमोहन सिंह मन्वरी सिंह गुप्ता न. नं. 100 फा. नं. 100

भू-स्वामी/भू-स्वामियों के हस्ताक्षर

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर 9675951927

2. हस्ताक्षर

3. हस्ताक्षर 9410404856

हस्ताक्षर भारत सिंह

हस्ताक्षर Bharat Singh 8445051523

1. हस्ताक्षर 9639787316

2. हस्ताक्षर 97465862070

पूरा नाम

पदनाम गवाह/अभिसाक्षी

2. हस्ताक्षर

सहायक अभियन्ता
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली

सेवा में,

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय,
बरेली विकास प्राधिकरण,
बरेली।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली द्वारा ग्राम अहरोला की भूमि रामगंगा नगर आवासीय योजना के विस्तार हेतु किसानों से आपसी सहमति के आधार पर खरीदे जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें मेरी कृषि भूमि खसरा संख्या-.....120..... भी शामिल है।

महोदय को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं अपनी भूमि बरेली विकास प्राधिकरण को विक्रय करने को तैयार हूँ तथा मुझे वर्तमान सर्किल रेट के चार गुना मुआवजा दिया जायें। यदि 4 गुना से कम मुआवजा दिया जाता है तो मुझे भूमि विक्रय करने में अपूर्णनीय क्षति होगी और 4 गुना से कम पर मैं अपनी भूमि विक्रय नहीं करूंगा।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ही मेरी भूमि 4 गुना दर से खरीदी जायें।

व्यवधान करनीसिंह @mp
आमरण सिंह
Bharat c

प्रार्थी

नाम सुबोधपाल करनीसिंह कामरस
आमरण सिंह

पिता का नाम सुबोधपाल

निवासी डोहरपुं

मोठ नं०- 9675956927

ANNEXURE_C

Sector 6


45.0 M WIDE ROAD

Sector 2 B

Sector 1

45.0 M WIDE ROAD

60.0 M WIDE BAREILLY - BISALPUR ROAD



DRAWING ISSUE REGISTER			
SL NO	DATE	ISSUED TO	INITIALS
1			
2			
3			
2			
1	14-08-2023	NOMENCLATURE REVISED	MUKARRAM
SL NO	DATE	DESCRIPTIONs	INITIALS
REVISIONs			

PROJECT TITLE:-		GREATER BAREILLY	
BUILDING TITLE:-		SECTOR - 02a	
DRAWING TITLE :-		LAYOUT PLAN	
DATE	26-07-2023	BAREILLY DEVELOPMENT AUTHORITY	SHT NO
DRN	ATHER		
TCD			
CKD	Ar. Sumit Agarwal		
SCALE	AS SHOWN		

TOTAL LAND AREA = 268514.13 SqM			
PARTICULAR	LEGEND	Nos.	TOTAL AREA
COMM. PLOT CPA (20.00 X 36.0)	[Red Box]	07	5045.82
COMM. PLOT CPB (12.00 X 15.0)	[Orange Box]	03	600
COMMERCIAL PLOTS CS-1 to CS-15 (7.5 x 10.0) 75.00 SqM	[Light Blue Box]	15	1289.83
SHOP (SH-1 to SH-19) - 5 X 6	[Light Green Box]	19	540
GOVT. OFFICE COMPLEX	[Pink Box]	01	25000.00
COMMERCIAL-1	[Light Orange Box]	01	1486.84
COMMERCIAL - 2 (41X48)	[Light Red Box]	01	1968.00
COMMERCIAL CP-1, 2 & 3 (30 X 41)	[Light Yellow Box]	03	3998.36
PUBLIC UTILITY (30 X 41)	[Light Cyan Box]	05	6502.03
RESIDENTIAL TYPE - B2 (10.00 X 20.00 M)	[Light Blue Box]	141	28636.96
RESIDENTIAL TYPE - B3 (9.00 X 18.00 M)	[Light Purple Box]	68	11300.71
RESIDENTIAL TYPE - C2 (7.50 X 15.00 M)	[Light Orange Box]	589	67128.71
RESIDENTIAL TYPE - C3 (6.0 X 12.00 M)	[Light Green Box]	12	882.73
GARBAGE COLLECTION CENTER	[Light Green Box]	01	319.76
PASSAGE PATHWAY	[Light Orange Box]	01	977.11
SENIOR SECONDARY SCHOOL	[Light Purple Box]	01	8000.00
PARKING AREA	[Light Green Box]		2800
PARK AREA	[Light Green Box]		28210.00
ROAD AREA	[Light Green Box]		73,827.27

BAREILLY DEVELOPMENT AUTHORITY
DEVELOPMENT OF
SECTOR 2 - A , GREATER BAREILLY.

SCALE:
1:300
DATE



D./M.	J.E.(P)	J.E.(C)	A.E.		
EX. EN.	C.T.P	SEC.	V.C.		

ARCON
 Shri KAILASHAM,714, JANAKPURI,
 Bareilly 243122
 Mob: 9837095138
 email: sumit.architects@gmail.com
 sumit.architects@yahoo.com